

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर स्थिति पत्र

(अगस्त, 2018)- संस्करण - 3

वीवीपीएटी

कंट्रोल यूनिट

बैलट यूनिट

भारत निर्वाचन आयोग

इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग
मशीन (ईवीएम)
पर
स्थिति पत्र



भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001

विषय-सूची तालिका

परिचय

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की यात्रा

सामाजिक-राजनीतिक फीडबैक

विधिक हस्तक्षेप एवं न्यायालयीन मामले

भारतीय ईवीएम: डिजाइन और विनिर्माण प्रोटोकॉल

ईवीएम संरक्षा एवं सुरक्षा: तकनीकी और प्रशासनिक

तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की भूमिका

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में प्रौद्योगिकी का क्रमिक विकास एवं संस्थापन

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

वीवीपीएटी

कुछ मुद्दे और विवाद

सर्व राजनीतिक दलीय बैठक

ईवीएम चुनौती

वर्तमान स्थिति

निष्कर्ष

अनुबंध

संक्षिप्तियां एवं परिवर्णी शब्द

एसी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
बीईएल	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
बीयू	मतपत्र इकाई
सीयू	नियंत्रण इकाई
डीआरएम	डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मशीनें
ईसीआई	भारत निर्वाचन आयोग
ईसीआईएल	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ईएमबी	निर्वाचन प्रबंधन निकाय
ईआरसी	निर्वाचन सुधार समिति
ईवीएम	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
एचसी	उच्च न्यायालय
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
ओटीपी	एकबारगी प्रोग्राम-योग्य
पीसी	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एससी	सुप्रीम कोर्ट
टीईसी	तकनीकी विशेषज्ञ समिति
वीवीपीएटी	वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल

परिचय:

भारत लगभग 850 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा सहभागी लोकतंत्र है। संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का संवैधानिक अधिदेश भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है, जिसने पिछले 66 वर्षों से संसद और विभिन्न राज्य विधान सभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, जागरूक और विश्वसनीय तरीके से निर्वाचनों का नियमित रूप से सफलतापूर्वक संचालन किया है। आयोग को दुनिया भर में निर्वाचन प्रबंधन में "वैश्विक स्वर्ण मानक" के रूप में व्यापक रूप से मान्यता-प्राप्त है जिसने निर्वाचनों के कुशल और व्यावसायिक संचालन में निरंतर उच्चतर मानक स्थापित किए हैं।

आयोग निर्वाचन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार लाने और इन्हें चुस्त-दुरुस्त करने में नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगतियों को अपनाने, अंगीकृत करने और कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है।

आयोग ने समुचित विधिक अवलंब द्वारा अनुसमर्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित तरीके से देश के कोने-कोने में मतों को दर्ज करने, उनका भंडारण एवं गणना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का चलन शुरू करने की अग्रणी पहल की है। ईवीएम का उपयोग देश में निर्वाचकीय प्रक्रिया में निरंतर सुधार करने, इसे स्तरोन्नत और सशक्त करने के आयोग के अदम्य संकल्प को प्रदर्शित करता है।

आयोग ने पिछले 23 वर्षों में राज्य विधान सभाओं के 113 साधारण निर्वाचनों और 3 लोकसभा निर्वाचनों का संचालन करने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। राज्यों की सूची, उन वर्षों के साथ जिनमें विधानसभा निर्वाचनों में 100% ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, **अनुबंध-1** पर रखी गई है।

वर्ष 2014 के लोकसभा निर्वाचनों में 55.41 करोड़ (554 मिलियन) मतदाताओं ने ईवीएम का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

भारत में निर्वाचकीय परिदृश्य पर सकारात्मक निर्वाचकीय सुधार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की वर्ष 1982 में हुई शुरुआत के समय से ही, ईवीएम पर राजनैतिक सहित विभिन्न पक्षों द्वारा आरोप और आक्षेप लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में, मार्च 2017 में पांच राज्यों के विधानसभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद, ईवीएम के विरुद्ध फिर से कतिपय आरोप लगाए गए हैं। तेरह राजनैतिक दलों के एक समूह ने 10 अप्रैल 2017 को आयोग से मुलाकात की और ईवीएम के उपयोग के बारे में कतिपय संदेह व्यक्त किए।

इस बात पर जोर दिए जाने की जरूरत है कि भांति-भांति की तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और आयोग द्वारा अधिदेशित प्रक्रियात्मक रक्षोपाय ईवीएम की अक्षुण्णता, गड़बड़ी के प्रति प्रतिरोधात्मकता और विश्वसनीयता को सद्दृढ़ता से सुनिश्चित करते हैं। आयोग द्वारा विहित सख्त प्रक्रियाएं और सुपरिभाषित मतदान प्रक्रियाएं किसी भी प्रकार के छल-कपट से ईवीएम को सुरक्षित करते हैं।

यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि आयोग संसद और राज्य विधानसभा के सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का 100% कवरेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में वीवीपीएटी और नवीनतम पीडी (एम3) की ईवीएम की खरीद के लिए आवश्यक निधियां संस्वीकृत की गई हैं और जैसाकि विनिर्माताओं द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, वीईएल और भारत निर्वाचन आयोगएल द्वारा मशीनें भारत निर्वाचन आयोग को सितंबर 2018 तक विनिर्मित करके डिलीवर किए जाने की उम्मीद है।

वर्तमान समय में जब ईवीएम पर एक बार फिर से इसकी प्रभावकारिता और सुदृढ़ता को लेकर एक और बहस छेड़ी जा रही है इसलिए हितधारकों के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक हो जाता है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की यात्रा

भारत में मतदान प्रणाली कई प्रकार के बदलावों से गुज़र चुकी है। वर्ष 1952 और 1957 में लोकसभा के पहले दो साधारण निर्वाचनों के दौरान, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक पृथक मतपेटी आबंटित की गई थी जिस पर अभ्यर्थी का प्रतीक चिह्न चिपकाया गया था। अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों को मतपत्र पर मुद्रित नहीं किया गया था और मतदाताओं को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के मतपत्र बॉक्स में पूर्व-मुद्रित मतपत्र गिराना था। इस प्रणाली से विभिन्न हितधारकों के मस्तिष्क में छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी की आशंका उत्पन्न होती थी और जल्द ही इसे बदल दिया गया। वर्ष 1960-61 में, केरल और उड़ीसा में विधान सभाओं के मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान मतपत्र पर चिह्नित करने की प्रणाली शुरू की गई और यह प्रणाली 1999 के लोकसभा निर्वाचन तक जारी रही।

ईवीएम का चलन शुरू किए जाने से पहले, भारतीय निर्वाचनों में मत डालने के लिए सर्वव्यापी मतपत्रों का इस्तेमाल काफी सफलतापूर्वक किया जाता था। मतपत्रों के उपयोग में काफी समय लगता था, इसमें बूथ-कैप्चरिंग और मतपत्र-बक्से को ठूसने जैसी कुप्रथाओं, गलत/त्रुटिपूर्ण रूप से चिह्नित किए जाने की वजह से अमान्य मतों की बड़ी संख्या होने, मतगणना प्रक्रिया के लम्बे समय तक चलने, अधिक संख्या में विवाद होने और परिणाम की विलंब से घोषणा किए जाने की संभावना बनी रहती थी। इन सबके अलावा, यह पारिस्थितिक रूप से विकृतकारी और पर्यावरण के अननुकूल पद्धति थी।

हालांकि, उसकी तुलना में ईवीएम के काफी अधिक तुलनात्मक और उल्लेखनीय फायदे हैं।

- i. ईवीएम द्वारा मतदान करने का तरीका कहीं अधिक सरल और मतदाता-अनुकूल है क्योंकि मतदाता को केवल अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत डालने के लिए बीयू पर बटन दबाना है।
- ii. ईवीएम प्रणाली के तहत कोई मत अमान्य नहीं होता है, जबकि मतपत्र पेपर प्रणाली में बड़ी संख्या में मतपत्रों को अविधिमान्य कर दिया जाता था और कुछ मामलों में, ऐसे अविधिमान्य मतपत्रों की संख्या निर्वाचित अभ्यर्थी के विजयी अंतर (मार्जिन) से अधिक होती थी।
- iii. यह प्रणाली लेखा-परीक्षण-योग्य, पारदर्शी, सटीक, सुरक्षित है और मानवीय त्रुटि को कम करने में मदद करती है।
- iv. यह कुछ घंटों में तेजी से परिणाम देती है, जो भारत जैसे बड़े देशों के लिए विशेष रूप से संगत है जिसमें निर्वाचन-क्षेत्रों में कई सौ हजार मतदाता होते हैं और जिनमें मतगणना करने में पहले कई दिन और सप्ताह लगते थे।
- v. इसके अतिरिक्त, ईवीएम मतदान प्रणाली से न केवल समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है बल्कि इस प्रक्रिया में लाखों-करोड़ों पेड़ों की भी बचत होती है।
- vi. पहले करोड़ों की संख्या में मतपत्रों को छापना पड़ता था जिसे मुद्रित किए जाने के लिए सैकड़ों टन पेपर की आवश्यकता पड़ती थी और मतपत्रों का मुद्रण-कार्य काफी लंबी समयावधियों के लिए बहुत सारे सरकारी मुद्रणालयों में किया जाता था और इन सभी कार्यों में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में निर्वाचन कर्मचारियों को लगाना पड़ता था।
- vii. इसके अतिरिक्त, देश में मतदान के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में प्रगति के नवोन्मेषी उपयोग से समग्रतः भारतीय समाज की रचनात्मकता, आविष्करिता और पथप्रदर्शक कुशाग्रता को भरपूर प्रोत्साहन मिलता है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करता है।

जैसा कि बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, 7 से अधिक दशकों के लिए मतपत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, दोनों के साथ निर्वाचनों के संचालन के संचित तुलनात्मक अनुभव का महत्व और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के असंख्य निर्विवाद फायदे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मत देने के पसंदीदा साधन बनाते हैं।

एकदम स्पष्ट है कि मतपत्रों का उपयोग एक पारंपरिक, काल-दोषयुक्त और पुरातन मतदान विधि थी। मतपत्रों का उपयोग करने की पूर्ववर्ती परिपाटी से जुड़ी उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए, और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ अद्यतन बने रहने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 1977 में ईवीएम का विचार प्रस्तुत किया।

वर्ष 1977 में भारत निर्वाचन आयोग के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री एस.एल. शकधर ने हैदराबाद में एक दौरे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से निर्वाचनों को संचालित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की संभावना का अध्ययन करने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद, जो आण्विक ऊर्जा मंत्रालय का एक लोक उपक्रम है, को निर्वाचन संचालित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अभिकल्पित और विकसित करने का कार्य सौंपा गया वर्ष 1979 में, एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया और 6 अगस्त, 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके प्रचालन का प्रदर्शन किया गया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरु, जो रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है, ने भी "माइक्रोकम्प्यूटर आधारित एक मतदान उपकरण विकसित किया था, जिसका उन्होंने कंपनी के विभिन्न संघों के निर्वाचनों के लिए इस्तेमाल किया था।" जनवरी 1981 में, ईवीएम का विनिर्माण करने के लिए बी.ई.एल. ने भारत निर्वाचन आयोग से सम्पर्क किया और 29 जुलाई, 1981 को आयोग ने निर्वाचनों में ईवीएम के उपयोग के संबंध में बीईएल, ईसीआईएल, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की।

19 मई, 1982 को, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के उपयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निदेश जारी किए और केरल के 70-परूर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र (एसी) में एक निर्वाचन में मशीनों का उपयोग करते हुए पचास मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक आधार पर निर्वाचन संचालित किए। इन ईवीएम का आगे 1982-83 में देशभर के 10 उप-निर्वाचनों में इस्तेमाल किया गया हालांकि, ईवीएम के उपयोग को विहित करने वाले किसी भी विशिष्ट कानून के न होने के कारण निर्वाचन को एक याचिका (एसी जोस द्वारा दायर वर्ष 1982 की निर्वाचन याचिका 01) में चुनौती दी गई और 5 मार्च, 1984 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन में ईवीएम का तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके उपयोग के लिए विधि में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध न कर दिया जाए। परिणामतः, संसद द्वारा दिसंबर 1988 में विधि में संशोधन किया गया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंतःस्थापित की गई। यह संशोधन 5 मार्च, 1989 को प्रवृत्त हुआ। उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य { (2002 यू.जे.(1)387 } के मामले में अपने निर्णय में धारा 61क की संवैधानिक विधिमान्यता अभिनिर्धारित की।

हालांकि, देश के राजनीतिक परिवेश में भारत की मतदान प्रणाली में इस नए प्रवेशक के संबंध में संदेह और अटकलें बनी रहीं। लोगों का भरोसा हासिल करने और नई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली की प्रामाणिकता की संपुष्टि करने के लिए, भारत सरकार ने जनवरी 1990 में एक निर्वाचकीय सुधार समिति (ईआरसी) स्थापित की, जिसमें श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में कई राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। ईआरसी ने सिफारिश की कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा ईवीएम की जांच की जाए। परिणामतः, श्री एस सम्पत, अध्यक्ष, आरएसी, डीआरडीओ की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसकी सूची में अन्य लोगों के साथ-साथ डॉ. पी.वी.

इंदिरेसन (आईआईटी, दिल्ली), डॉ राव सी. कासारबाडा (ईआर और डीसी, त्रिवेंद्रम) जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे। टीईसी के सदस्य सदैव तकनीकी उत्कृष्टता रखने वाले और प्रतिष्ठित अकादमिक/शोध रिकॉर्डधारी प्रसिद्ध पेशेवर रहे हैं। अप्रैल 1990 में, विशेषज्ञ समिति ने, इसे तकनीकी रूप से सशक्त, सुरक्षित एवं पारदर्शी बताते हुए, सर्वसम्मति से बिना और कोई समय गंवाए ईवीएम के उपयोग की अनुशंसा की। 24 मार्च, 1992 को सरकार द्वारा ईवीएम के उपयोग के संबंध में निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए गए।

वर्ष 1998 में, भारतीय निर्वाचनों को संचालित करने के लिए ईवीएम के उपयोग पर एक आम सहमति बनी। 1998 में, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीन राज्यों में 16 विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया वर्ष 1999 में ईवीएम का उपयोग आगे बढ़ाकर 46 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया, और बाद में फरवरी 2000 में हरियाणा राज्य विधानसभा मतदानों में 45 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 2001 में, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग करके संचालित किए गए थे। तदुपरांत, सभी राज्य विधानसभा निर्वाचनों में इस मशीन का इस्तेमाल देखा गया।

2004 में, लोकसभा के निर्वाचनों में सभी 543 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। एक नई प्रौद्योगिकीय रूप से समुन्नत मतदान प्रणाली ने मतपत्रों का उपयोग करने की पूर्ववर्ती मतदान पद्धति को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। वर्ष 2000 से, भारत में 107 राज्य विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा के 3 साधारण निर्वाचन (2004, 2009 और 2014) आयोजित किए गए हैं जिनमें ईवीएम का उपयोग करते हुए मत डाले और रिकॉर्ड किए गए हैं (अनुबंध 1)।

वर्ष 2001 में ईवीएम में कई प्रकार के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन किए गए और 2006 में मशीनों को आगे और अधिक स्तरोन्नत किया गया। वर्ष 2006 से पहले के ईवीएम को 'एम1 ईवीएम' के रूप में जाना जाता है, जबकि 2006 से 2010 के बीच विनिर्मित ईवीएम को 'एम2 ईवीएम' कहा जाता है। वर्ष 2013 से उत्पादित ईवीएम को अगली पीढ़ी 'एम 3 ईवीएम' के रूप में जाना जाता है।

भारतीय ईवीएम में नवीनतम परिवर्धन मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) है, जिसका चलन 2013 में ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में पारदर्शिता लाने के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में शुरू किया गया था। आयोग द्वारा वीवीपीएटी मॉडल को विकसित करने का कार्य तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) के मार्गदर्शन में ईवीएम विनिर्माताओं को सौंपा गया था।

एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया और जुलाई 2011 में तिरुवनंतपुरम (केरल), दिल्ली, चेरापूंजी (मेघालय), जैसलमेर (राजस्थान) और लेह (जम्मू-कश्मीर) में फील्ड परीक्षण आयोजित किए गए। पहले फील्ड परीक्षणों के बाद आयोग ने विनिर्माताओं को निदेश दिया कि वे वीवीपीएटी को फिर से डिजाइन करें।

नए मॉडल के विनिर्माण के बाद जुलाई-अगस्त 2012 में दूसरा फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया। 19 फरवरी, 2013 को, टीईसी द्वारा अंतिम मॉडल अनुमोदित किया गया। यह मॉडल 10 मई, 2013 को आयोजित हुई बैठक में राजनीतिक दलों को दिखाया गया था। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया और 14 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया, जिससे भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग करने में सक्षम हुआ। 4 सितंबर, 2013 को, वीवीपीएटी का पहली बार नागालैंड में 51-नोकसेन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन में इस्तेमाल किया गया।

इस बीच 8 अक्टूबर, 2013 को, एक जनहित याचिका के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को वीवीपीएटी प्रणाली का चरणबद्ध तरीके से चलन शुरू करने का निदेश दिया। वर्ष 2013 में, भारत निर्वाचन आयोग ने

20,000 वीवीपीएटी का प्रापण किया जिनका विभिन्न निर्वाचनों में इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2017 में हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा निर्वाचनों के दौरान पंजाब में 33 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, मणिपुर में 6 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, उत्तराखंड में 3 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 30 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों और गोवा में 40 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में 53,500 वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया।

भारतीय निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

दिनांक	घटनाओं का कालक्रम
1977	भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम का विचार प्रस्तुत किया
1979	एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया
6 अगस्त, 1980	राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शन
जनवरी 1981	बीईएल ने ईवीएम के विनिर्माण के लिए भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया
29 जुलाई, 1981	भारत निर्वाचन आयोग ने बीईएल, ईसीआईएल, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की
19 मई, 1982	ईवीएम का पहली बार केरल में 70-परूर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया
1982-83	ईवीएम का देश के विभिन्न हिस्सों में 10 उप-निर्वाचनों में उपयोग किया गया
5 मार्च, 1984	भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचनों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
दिसंबर 1988	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंतःस्थापित की गई (उच्चतम न्यायालय ने 2001 में धारा 61क की विधिमान्यता को बरकरार रखा)
15 मार्च, 1989	संशोधन प्रवृत्त हुआ
जनवरी 1990	भारत सरकार द्वारा निर्वाचकीय सुधार समिति (ईआरसी) का गठन किया गया
अप्रैल, 1990	तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने ईवीएम के उपयोग की सिफारिश की
24 मार्च, 1992	सरकार द्वारा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में आवश्यकता संशोधन अधिसूचित किए गए
1998	भारतीय निर्वाचनों का संचालन करने के लिए ईवीएम के उपयोग पर एक आम सहमति बनी
1999-2004	विभिन्न राज्य विधानसभा निर्वाचनों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया
2004 - 2014	लोकसभा में लगातार तीन निर्वाचनों में ईवीएम का उपयोग किया गया
14 अगस्त, 2013	वीवीपीएटी का उपबंध करने के लिए निर्वाचन संचालन नियम, 1961 में आगे और संशोधन किए गए और अधिसूचित किए गए
4 सितंबर, 2013,	वीवीपीएटी का पहली बार नागालैंड में 51-नोकसेन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन में उपयोग किया गया
8 अक्टूबर, 2013	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निदेश दिया कि वीवीपीएटी प्रणाली का चरणबद्ध तरीके से चलन शुरू किया जाए
2013 - अब तक	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपीएटी का चरणों में सीमित संख्या में चलन शुरू किया गया
अप्रैल 2017	2017-18 और 2018-19 के दौरान 3173.47** करोड़ रुपये की लागत से 16,15,000 वीवीपीएटी की खरीद करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ। आयोग द्वारा विनिर्माण अत्यावश्यकताओं की शर्त के अधीन सभी अपेक्षित वीवीपीएटी का सितंबर, 2018 तक प्रापण कर लिया जाएगा।

	** मूल्य मोलभाव समिति द्वारा कीमत का निर्धारण करने के बाद। 16,15,000 वीवीपीएटी की लागत घटकर रु. 2616.30 करोड़ हो गई।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सामाजिक-राजनैतिक फीडबैक

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग का अर्थ है प्रौद्योगिकी और भरोसे, परम्परा और आधुनिकता का सम्मिश्रण, जैसे कि घोड़े द्वारा चालित गाड़ी से आगे बढ़कर मोटर वाहनों का इस्तेमाल करना।

1982 में, जब ईवीएम का पहली बार केरल में इस्तेमाल किया गया था, तो एक अभ्यर्थी सिवान पिल्लई ने निर्वाचन से पहले ही इसके इस्तेमाल को चुनौती दी थी। लेकिन, केरल उच्च न्यायालय ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की और एक पायलट परियोजना के रूप में ईवीएम का चलन शुरू किया गया। दिलचस्प बात यह है कि चुनौतीकर्ता श्री पिल्लई ने परिणाम घोषित होने पर निर्वाचन जीत लिया। हालांकि, उसके बाद श्री पिल्लई के प्रतिद्वंद्वी ने ईवीएम का चलन शुरू करने को चुनौती दी। उक्त निर्वाचन 1984 में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय आने के बाद पेपर मतपत्रों के साथ फिर से संचालित किया गया।

हालांकि, ईवीएम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का 1984 का विनिर्णय विधिक तकनीकी आधार पर था न कि उनकी मौलिक उपयुक्तता पर, और यह विधिक ठहराव वर्ष 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन के माध्यम से ठीक कर दिया गया।

देश के बड़े हिस्सों में बड़े पैमाने पर फैली निरक्षरता और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए भारत में मतदान के लिए ईवीएम के प्रचलन के प्रति कुछ संदेह व्यक्त किया गया। 'ना' कहने वाले व्यक्तियों द्वारा अक्सर यह दलील दी जाती थी कि निर्धन, निरक्षर, वंचित लोगों का विशाल जनसमूह, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, ईवीएम के प्रति सुगमता में कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करेंगे और अज्ञानता, मतदान-क्रिया के बारे में जानकारी या जागरूकता के अभाव में मत देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। हालांकि, आयोग द्वारा शुरू किए गए समेकित एवं संकेंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम, (विशेष रूप से ईवीएम के प्रति जागरूकता और जानकारी फैलाने के लिए) और आखिरी निर्वाचक तक पहुंचने की इसकी प्रतिबद्धता ने सभी रुकावटों और आशंकाओं को कारगर रूप से प्रभावहीन कर दिया है। भारतीय समाज के प्रतिनिधिक समूहों को उत्सुकतापूर्वक एवं सकारात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) अपनाकर अपने मत ईवीएम पर डालते हुए निर्वाचकीय प्रक्रिया में सक्रियतापूर्वक एवं उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए देखकर काफी संतोष एवं खुशी होती है।

निर्वाचकीय परिदृश्य पर ईवीएम के आगमन के बाद से इसके उपयोग पर राजनीतिक दलों और व्यक्तियों सहित विभिन्न पक्षों द्वारा आक्षेप व्यक्त किए जाते रहे हैं। ईवीएम के प्रति व्यक्त की गई चुनौती का सामना करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक असाधारण उपाय के रूप में सभी हितधारकों को 3 से 7 अगस्त, 2009 के बीच एक खुली चुनौती दी कि वे सामने आएँ और यह सिद्ध करके दिखाएँ कि क्या ईसीआई-ईवीएम में छेड़-छाड़ की जा सकती है। उनमें से कोई भी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि ईवीएम से छेड़-छाड़ की जा सकती है।

वर्ष 2017 में, पांच राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने के उपरान्त, कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर पुनः आशंकाएं व्यक्त की।

12 मार्च, 2017 को संविधान क्लब, नई दिल्ली में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्तीय राजनीतिक दलों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विचार विमर्श के अधीन एक बड़ा मुद्दा निर्वाचनों में ईवीएम के साथ वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के प्रयोग का था। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने संसद और राज्य विधान सभाओं के सभी आगामी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का 100% कवरेज का आश्वासन दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि आयोग एक चुनौती रखेगा और सभी राजनीतिक दलों को यह प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि वर्ष 2017 के शुरू में हाल ही में सम्पन्न हुए विधान सभा

कोई - टिप्पणी की

09 2017 100% यह टिप्पणी की

कथन यह र्थ

अनु उनका निपटान

बॉम्बे उच्च न्यायालय: आदेश दिनांक 23.02.2018

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 की निर्वाचन याचिका सं. 15 में किसी गड़गड़ी इत्यादि की जांच करने के लिए केन्द्रीय फॉरेंसिक साइन्स लेबोरेट्री, हैदराबाद से ईवीएम की एक विस्तृत फॉरेंसिक जांच करवाने आदेश दिया। सीएफएसएल रिपोर्ट में किसी छेड़छाड़, परिवर्तन या गड़बड़ी को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और याचिका को खारिज कर दिया गया।

के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनका उपयोग प्रोत्साहित किया जाता है।

के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनका उपयोग प्रोत्साहित किया जाता है।

के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनका उपयोग प्रोत्साहित किया जाता है।

के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनका उपयोग प्रोत्साहित किया जाता है।

के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनका उपयोग प्रोत्साहित किया जाता है।

पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी की 100% तैनाती के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। 16,15,000

रूप

- (i) आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली ईवीएम अकेले चल सकने योग्य (स्टैंड अलोन) मशीनें होती हैं और इनमें किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है, यह एक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी) मशीन होती है जिसे न तो कम्प्यूटर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है और न ही ये इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ी होती हैं और इसलिए इन्हें हैक नहीं किया जा सकता है।
(ii) इस मशीन के साथ छेड़छाड़ करने/इसमें गड़बड़ी करने से रोकने के लिए इसे इलेक्ट्रानिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इन मशीनों में प्रयुक्त प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को एक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी)/मास्कड चिप में बर्न किया जाता है ताकि इसे बदला न जा सके या इससे छेड़छाड़ न की जा सके।
(iii) ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बीईएल (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएल (परमाणु उर्जा मंत्रालय का पीएसयू) में एक दूसरे से भिन्न इंजीनियरों के चयनित समूह द्वारा इन-हाउस रूप से तैयार किया जाता है।
(iv) सॉफ्टवेयर डिजाइन के पूर्ण हो जाने के पश्चात सॉफ्टवेयर अपेक्षाओं के विनिर्देशों (एसआरएस) के अनुसार स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर को इसके अभीष्ट प्रयोग के लिए निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार ही तैयार किया गया है।
(v) ऐसे मूल्यांकन के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात, मशीन कोड माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को दिया जाता है ताकि इसे माइक्रो कंट्रोलर में राइट किया जा सके। इस मशीन कोड से सोर्स कोड को पढ़ा नहीं जा सकता। सोर्स कोड को कभी भी पीएसयू के सॉफ्टवेयर समूह के बाहर किसी को भी सुपुर्द नहीं किया जाता है।
(vi) प्रारंभतः, माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता मूल्यांकन हेतु पीएसयू को इंजीनिरिंग नमूने उपलब्ध कराता है। इन नमूनों को ईवीएम में एसेम्बल किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और व्यापक रूप से इसकी प्रकार्यात्मकता हेतु सत्यापन किया जाता है। इस सत्यापन के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात ही पीएसयू द्वारा माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को थोक में इसका उत्पादन करने की सहमति दी जाती है।
(vii) ईवीएम के लिए सोर्स कोड को हर समय नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी पहुंच केवल प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही हो, जाँच एवं संतुलन बनाया जाता है।
(viii) फैक्ट्री में उत्पादन के दौरान निर्धारित गुणवत्ता योजना और निष्पादन परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार, उत्पादन समूह द्वारा कार्यात्मक परीक्षण किया जाता है।
(ix) सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि यह मतदाता को केवल एक बार ही मत डालने की अनुमति देता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षम बनाने के पश्चात ही बैलेट यूनिट से निर्वाचक द्वारा वोट रिकार्ड किया जा सकता है। मशीन किसी भी समय बाहर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं करती है। अगला वोट तभी रिकार्ड किया जा सकता है जब पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट

को सक्षमकारी बना देता है। इस बीच मशीन बाहर के किसी भी सिग्नल (कंट्रोल यूनिट को छोड़कर) के प्रति निष्क्रिय हो जाती है।

- (x) गुणता आश्वासन समूह, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मध्य एक स्वतंत्र इकाई है, के द्वारा उत्पादन बैचों से ईवीएमों के नमूनों की नियमित जांच की जाती है।
- (xi) ईसीआई-ईवीएम में वर्ष 2006 में कुछ अतिरिक्त विशिष्टियां प्रारंभ की गई थीं यथा बैलेट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) के बीच डायनेमिक कोर्डिंग, रियल टाइम क्लॉक लगाना, फुल डिस्प्ले (पूर्ण प्रदर्शन) प्रणाली लगाना और ईवीएम में प्रत्येक कुंजी-दबाने का समय एवं तारीख का मुद्रांकन करना।
- (xii) वर्ष 2006 में तकनीकी मूल्यांकन समिति ने निष्कर्ष निकाला कि वायरलेस, या बाहरी या ब्लूटूथ अथवा वाईफाई के माध्यम से कोडेड सिग्नल द्वारा कंट्रोल यूनिट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती क्योंकि कंट्रोल यूनिट में उच्च आवृत्ति रिसेवर और डाटा डीकोडर नहीं है। कंट्रोल यूनिट केवल बैलेट यूनिट से विशेष रूप से कोडीकरण किए गए और डायनेमिक रूप से कोडेड डाटा को ही स्वीकार करता है। कंट्रोल यूनिट द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी स्रोत का कोई भी डाटा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ईवीएम को हैंडल करने हेतु ईसीआई द्वारा निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाएं सख्त हैं

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□), □□□□□□□□
□□□□□□ (□□□), □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□) □□ □□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□, □□ □□ □□□□
□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ होते हैं □□ □□, □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□
होते □□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□
निम्नलिखित □□□:-

- i. प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माताओं के इंजीनियरों द्वारा निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाली प्रत्येक ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। किसी भी गड़बड़ी वाली ईवीएम अर्थात् या तो ईवीएम चालू नहीं हो रही हो या उसमें परिणाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हों तो उसे अलग रखा जाता है तथा उसे निर्वाचन में प्रयोग नहीं किया जाता है।
- ii. निर्माणकर्ता प्रथम स्तरीय जांच के समय यह प्रमाणित करते हैं कि ईवीएम में लगे सभी उपकरण वास्तविक हैं। इसके पश्चात, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को '1/पिंक पेपर सील' का प्रयोग करके मुहरबंद किया जाता है, जिस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और इसे स्ट्रॉंग रूम में रखा जाता है। इस चरण के पश्चात, ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को खोला नहीं जा सकता है। ईवीएम के अन्दर के किसी भी उपकरण तक कोई पहुंच नहीं हो सकती है।
- iii. एफएलसी के समय प्रत्येक ईवीएम की कार्यात्मकता पर कुछ मतों के साथ छद्म मतदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त एफएलसी के समय 1% ईवीएमों पर 1200 मत, 2% ईवीएमों पर 1000 मत तथा 2% ईवीएमों पर 500 मत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष डाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रथम स्तरीय जांच के दौरान इस माँक पोल के परिणामों का एक प्रिंट आऊट तथा माँक पोल के दौरान डाले गए प्रत्येक मत का आनुक्रमिक प्रिंट आऊट लिया जाता है तथा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यादृच्छिक रूप से मशीनें चुनने की अनुमति दी जाती है। शेष मशीनों में, माँक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए संतोषजनक होती है। राजनीतिक दलों

- के प्रतिनिधियों को स्वयं मॉक पोल करने की अनुमति होती है। जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा इन सभी का रिकार्ड रखा जाता है।
- iv. तत्पश्चात् स्टोर में रखे गए ईवीएम को मतदान केन्द्रों में वितरित करने से पूर्व अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा दो बार यादृच्छिकीकृत किया जाता है, एक बार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों को आबंटित करने के लिए तथा दूसरी बार मतदान केन्द्रों में आबंटित करने के लिए। किसी विशेष मतदान केन्द्र को आबंटित ईवीएम की क्रम संख्या वाले ईवीएम की ऐसी सूचियों को राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। पूर्ण पारदर्शिता हेतु यह यादृच्छिकीकरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात केन्द्रीय प्रेक्षकों और राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर(ईटीएस) के माध्यम से किया जाता है। किसी विशिष्ट मतदान केन्द्र को आबंटित ईवीएम की क्रम संख्या वाली ईवीएम सूची राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है।
 - v. ईवीएम की अभ्यर्थी सेटिंग प्रक्रिया के दौरान बैलेट पेपर को बैलेट यूनिट पर फिक्स कर दिया जाता है और ईवीएमों को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या हेतु तैयार किया जाता है। यहां यह नोट किया जाए कि मतपत्र में नामों की व्यवस्था और बैलेट यूनिट में नामों की व्यवस्था वर्णानुक्रम में है, पहले राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यताप्राप्त दल, उसके पश्चात अन्य राज्यीय पंजीकृत दल और तत्पश्चात निर्दलीय। अतः, वह क्रम जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बैलेट यूनिट पर प्रदर्शित होते हैं वह अभ्यर्थियों के नाम और उनकी पार्टी समबद्धता के सापेक्ष होते हैं और उसका पता पहले नहीं लगाया जा सकता है। बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों के नामों के क्रम की यह व्यवस्था वोटों के हेर-फेर हेतु सॉफ्टवेयर के किसी पूर्व-निर्धारित हेर-फेर की संभावना पर प्रभावी ढंग से रोक लगाता है। अतः, किसी विशेष राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग होगी और इसका पहले से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए गड़बड़ी की किसी भी संभावना से इंकार किया जाता है।
 - vi. अभ्यर्थी की सेटिंग पूरी हो जाने पर, ईवीएम के बैलेट यूनिट को भी धागा/पिंक पेपर सील से मुहरबंद किया जाता है ताकि बैलेट यूनिट के भीतरी हिस्से में भी किसी की पहुँच न हो। इन पिंक सीलों पर राजनीतिक दलों/अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी दर्ज होते हैं।
 - vii. ईवीएम की तैयारी और अभ्यर्थी सेटिंग के समय के दौरान, यादृच्छिक रूप से चयनित 5% ईवीएम और वीवीपीएटी में 1000 मतों का छद्म मतदान किया जाता है। आरओ एवं उनके नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के लिए अभ्यर्थी या उनके एजेंटों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक परिणाम को वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती से मिलान किया जाता है।
 - viii. मतदान के दिन, पीठासीन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों/मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेकर उनकी उपस्थिति में प्रत्येक मतदान केन्द्र में कम से कम 50 मत डालकर छद्म मतदान संचालित किया जाता है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी से इस आशय का एक छद्म मतदान प्रमाण-पत्र हासिल किया जाता है।
 - ix. छद्म मतदान समाप्त होने के पश्चात, सीयू पर सभी बटनों, सिवाय उन बटनों के जिनका उपयोग मतदान के संचालन के लिए किया जाता है, के प्रति अभिगम्यता को अवरूद्ध करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर और एक धागा सील और ग्रीन पेपर सील लगाए जाते हैं। इन पेपर सीलों तथा धागा सीलों पर मतदान एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की अनुमति दी जाती है। मतदान समाप्त होने के पश्चात्, पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सीयू पर 'क्लोज' बटन दबाते हैं। तत्पश्चात, ईवीएम में कोई भी मत डाला नहीं जा सकता।
 - x. उसके पश्चात पूरे ईवीएम को मुहरबंद कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों और एजेंटों को सीलों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है जिसकी वे मतगणना से पहले मुहर की अक्षुण्णता देखने के लिए जांच कर सकते हैं। अभ्यर्थी/प्रतिनिधि ईवीएम को मतदान केन्द्रों से मतगणना भण्डार गृहों तक ले जाने वाले वाहनों के पीछे चलते हैं।
 - xi. इसके अतिरिक्त स्ट्रांग रूम, जिनमें मतगणना हेतु ईवीएम रखे जाते हैं, भी मुहरबंद किए जाते हैं और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सीएपीएफ) गार्डों द्वारा चौबीसों घंटे पूरी तरह सुरक्षित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम पर अपने स्वयं का सील(मुहर) लगाने की अनुमति दी जाती है। उन्हें स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे निगरानी करने की भी अनुमति दी जाती है। भण्डारण

गृहों के चारों तरफ सुरक्षा बल तीन स्तरों में तैनात किए जाते हैं। जिसमें भीतरी रिंग की रक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा की जाती है।

- xii. एफएलसी, मतदान से पूर्व ईवीएम की तैयारी छद्म मतदान आदि अनिवार्यता अभ्यर्थियों अथवा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संचालित किए जाते हैं और उनका विधिवत रूप से दस्तावेज रखा जाता है।
- xiii. ईवीएम के यादृच्छिकीकरण के साथ-साथ मतदान केन्द्रों में प्रतिनियुक्त मतदान कर्मचारियों को भी एक त्रिस्तरीय यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से यादृच्छिकीकृत किया जाता है।

भण्डारण एवं पारवहन प्रोटोकॉल:

भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं एवं अनुदेशों का पालन करके यह सुनिश्चित करता है कि ईवीएम/वीवीपीएटी का भण्डारण एवं पारवहन हर समय ईसीआई के सख्त नियंत्रण के अधीन होता है।

अ. गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान:

गैर-निर्वाचन अवधि का अर्थ है वह निर्वाचन याचिका (ईपी) अवधि (यानी पिछले निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 45 दिन) के बीतने के बाद और निर्वाचन-क्षेत्र में अगले निर्वाचन की घोषणा तक।

ई वी एम का वास्तविक सत्यापन:

गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान, जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा ई वी एम का शत प्रतिशत वास्तविक सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, आयोग ई वी एम-भंडारगारों को खोलने के लिए निदेश जारी करता है। आयोग से निदेश प्राप्त होने पर, जिला निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करते हैं:-

- क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ई वी एम-भंडारगारों, जिनमें किसी निर्वाचन याचिका या न्यायालय मामलों से संबंधित ई वी एम रखे गए हैं, को ई वी एम के वास्तविक सत्यापन के प्रयोजनार्थ नहीं खोला जाएगा।
- ख) जिला निर्वाचन अधिकारी ई वी एम-भंडारगार (उपर्युक्त (क) में उल्लिखित ई वी एम-भंडारगार के सिवाय) को खोलने के प्रयोजनार्थ एवं ई वी एम का वास्तविक सत्यापन संचालित करने के लिए एक निर्वाचन प्राधिकारी को नामित करेंगे।
- ग) राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को ई वी एम भंडारगार खोलने एवं बंद करने की तारीख एवं समय के बारे में कम से कम 24 घंटे पहले लिखित में सूचित किया जाएगा। उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भंडारगार को खोलने एवं बंद होने के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट पर राजनैतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे।

ई वी एम का भंडारण

- i. ई वी एम का भंडारण, जहां कहीं भी संभव हो, कोषागार में किया जाएगा।
- ii. जहां कोषागार में भंडारण नहीं किया गया हो, ईवीएम का भंडारण एक पृथक ऐसे भंडारगार में किया जाना चाहिए जहां ई वी एम से भिन्न कुछ भी नहीं रखा गया हो।
- iii. सामान्यतया, ई वी एम का भंडारण जिला मुख्यालयों में किया जाना चाहिए।
- iv. हालांकि, यदि ई वी एम का भंडारण जिला मुख्यालयों में करना संभव नहीं हो तो ई वी एम भंडारगार तहसील मुख्यालयों से कमतर स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए।
- v. किसी भी ई वी एम को आयोग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए ई वी एम भंडारगार से बाहर नहीं रखा जाएगा (अर्थात् सभी ई वी एम को ई वी एम भंडारगार में रखा जाना चाहिए और किसी अन्य स्थान पर नहीं)।
- vi. ई वी एम भंडारगार में एक(1) से अधिक प्रवेश बिंदु नहीं होना चाहिए। यदि भंडारगार में कोई अन्य दरवाजे या खिड़कियां हैं तो उन्हें चिनाई या कंक्रीट का प्रयोग करके बंद कर दिया जाना चाहिए।
- vii. ई वी एम भंडारगार के प्रवेश को डबल लॉक सिस्टम से सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए। चाबियां जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा प्रत्येक के पास एक चाबी होगी। चाबियों का सौंपा जाना और प्राप्त करना सीटीसी का एक हिस्सा होगा।

- viii. ईवीएम/वीवीपीएटी भण्डारगृह की 24X7 पुलिस सुरक्षा। इसके अतिरिक्त, प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) से लेकर निर्वाचन याचिका (ईपी) के पूरी होने की अवधि तक सीसीटीवी व्यवस्था।
- ix. सुरक्षा: गैर मतदान (ईपी उपरान्त से एफएलसी तक) न्यूनतम ½ सेक्शन
एफएलसी से मतदान तक – न्यूनतम 1 सेक्शन
मतदान से ईपी तक – न्यूनतम 1 प्लाटून
- x. भंडारगृह, नमी, कीटो, कृतकों आदि से अवश्य मुक्त होना चाहिए। समुचित अग्निरोधी इंतजाम अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भंडारगार को बाढ़/जल जमाव के खतरे/दरारों/लीकेज/टूटी खिड़की आदि से मुक्त होना चाहिए। स्ट्रांग रूम में दुर्गंध दूर के लिए वायु-संचलन (एयर-सर्कुलेशन) के लिए इन्लेट/आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएं।
- क) एग्जॉस्ट फैन को स्ट्रांग रूम के अग्रभाग पर लगाया जाएगा जहां सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं न कि पीछे की ओर
- ख) एग्जॉस्ट फैन को छत के नीचे यथा-संभव उच्चतम बिंदु पर लगाया जाएगा;
- ग) छिद्र/निकास, जहां एग्जॉस्ट फैन लगाया जाएगा, वहाँ पर एक मजबूत आयरन ग्रिल लगाया जाएगा।
- घ) ई वी एम को सुरक्षित रीति से रखा जाना चाहिए।
- xi. चौबीसों घंटे पुलिस/सुरक्षा गार्ड तैनात करके भंडारगार पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किया जाना चाहिए।

ई वी एम का संचलन

गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान, ई वी एम को आयोग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना ई वी एम भंडारगार के अंदर या बाहर नहीं ले जाया जाएगा। आयोग के निदेश पर ई वी एम के अंतरा राज्य एवं अंतर-राज्य स्थानान्तरण की दशा में, निम्नलिखित का सख्ती से पालन किया जाएगा:-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ई वी एम के स्थानान्तरण के बारे में आयोग के निदेश की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।
- जिला निर्वाचन अधिकारी अपेक्षित संख्या में ई वी एम को स्थानान्तरित करने के लिए ई वी एम-भंडारगार को खोलने के लिए प्रभारी अधिकारी को लिखित आदेश जारी करेगा (करेंगे)।
- जिला निर्वाचन अधिकारी का लिखित आदेश प्राप्त होने पर नामित अधिकारी बाहर ले जाई जाने वाले ई वी एम को चिह्नित करेगा तथा ऐसे ई वी एम के ब्योरे की प्रविष्टि मास्टर स्टॉक रजिस्टर/संचलन रजिस्टर में करेगा तथा ई वी एम को प्राप्त करने के प्रमाणस्वरूप, ई वी एम प्राप्त करने वाले अधिकारी से लिखित पावती लेगा।
- कन्टेनर युक्त ट्रक तथा सील बन्द ट्रक, जिन पर उपयुक्त तालाबन्द व्यवस्थाएं की जा सकें, ही ईवीएम तथा वीवीपीएटी को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इन्हें तालाबन्द किया जा सके और कागज की सीलों से सील बन्द किया जा सके।
- ईवीएम/वीवीपीएटी को लाने ले जाने के लिए केवल जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहन ही प्रयोग में लाए जाते हैं।
- ईवीएम/वीवीपीएटी को स्थानान्तरित करते समय गोदामों को खोलने, भण्डारण करने और सील करने के बारे में राजनैतिक दलों को अग्रिम रूप में सूचित कर दिया जाता है।

मरम्मत के लिए प्रोटोकॉल:-

मतदान अवधि या गैर-मतदान अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण पाए गए ईवीएम तथा जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें मरम्मत हेतु बीईएल और ईसीआईएल विनिर्माताओं के पास भेजा जाता है। और उन्हें ईटीएस के अंतर्गत ट्रैक किया जाता है विनिर्माता से मरम्मत की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग द्वारा मरम्मत किए गए ईवीएम आबंटित किए जाते हैं।

ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर(ईटीएस):- आयोग ने एक आधुनिक वस्तु-सूची प्रबंधन प्रणाली के रूप में ईटीएस का चलन शुरू किया है जिसमें सभी ईवीएम/वीवीपीएटी की पहचान और वास्तविक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रियल टाईम आधार पर ट्रैक की जाती है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशित इन मशीनों का कोई भी संचलन अनिवार्यतया इस प्रणाली के माध्यम से होगा।

आ. निर्वाचन अवधि के दौरान

ई वी एम का वास्तविक सत्यापन:

यदि वर्ष के दौरान साधारण निर्वाचन है तो जिला निर्वाचन अधिकारी ई वी एम की प्रथम स्तरीय जांच के दौरान ई वी एम का शत-प्रतिशत वास्तविक सत्यापन करेगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से विहित फॉर्मेट में आयोग को रिपोर्ट भेजेगा।

ई वी एम का भंडारण

मतदान पूर्व-भंडारण : ई वी एम की प्रथम स्तरीय जांच तथा प्रथम यादृच्छिकीकरण के बाद ई वी एम संबंधित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंप दिया जाएगा। रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:-

- i) रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आबंटित ई वी एम का भंडारण वीडियोग्राफी के अधीन, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में करेगा। मतदाताओं के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के निमित्त ई वी एम को पृथक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा ताकि मतदान के निमित्त ई वी एम (रिजर्व ई वी एम सहित) को ई वी एम की तैयारी से पहले खोले जाने की जरूरत न हो। रिजर्व ईवीएम वे ईवीएम होते हैं जिन्हें मतदान के दिन खराब/त्रुटिपूर्ण ईवीएम को बदलने हेतु उपयोग में लाया जाता है। रिजर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें(ईवीएम) मतदानों के लिए नामोद्दिष्ट अन्य ईवीएम की तरह अभ्यर्थी सेटिंग और मतपत्र नियतन के साथ विधिवत रूप से तैयार की जाती हैं और उन्हें सुरक्षा एवं भंडारण प्रोटोकॉलों के उन्हीं मानकों से गुजारा जाता है।
- ii) इसके पश्चात् रिटर्निंग आफिसर ई वी एम (अभ्यर्थी सेटिंग) की तैयारी के समय मतदान के निमित्त ई वी एम (रिजर्व ई वी एम सहित) वाले स्ट्रांग रूम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा।
- iii) रिटर्निंग आफिसर स्तर पर ई वी एम की तैयारी के बाद, रिजर्व ई वी एम सहित ई वी एम को पुनः वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा।
- iv) उसके बाद रिटर्निंग आफिसर मतदान दलों के प्रस्थान के दिवस को ई वी एम (रिजर्व ई वी एम सहित) वाले स्ट्रांग रूम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा।
- v) मतदान के दिन मतदान पूरा होने के बाद, मतदान में प्रयुक्त ई वी एम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डबल लॉक प्रणाली में भंडारण हेतु स्ट्रांग रूम में हिफाजत से वापस रखा जाएगा।

मतदान में प्रयुक्त ई वी एम का स्ट्रांग रूम में भंडारण के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

- (i) सभी पीठासीन अधिकारियों या संग्रहण दलों को वोटिंग मशीनों एवं निर्वाचन कागज पत्रों एवं सामग्री को बिना किसी परिहार्य देरी के भंडारण केन्द्रों में जमा कर देना चाहिए। इस संबंध में चूक करने वाला कोई भी अधिकारी स्वयं को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा।
- (ii) रिटर्निंग आफिसर किसी विशेष मतदाता केन्द्र से प्राप्त वोटिंग मशीनों को ढेर बनाकर रखने के लिए वर्गों के रूप में फ्लोर स्पेस के विनिर्दिष्ट भाग को भंडारण कक्ष या भवन, नामोद्दिष्ट कर सकता है। इसके लिए व्यवस्था में मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या का पालन किया जाना चाहिए।
- (iii) एक मतदान केन्द्र से प्राप्त सभी बैलट यूनिट (टों) तथा कंट्रोल यूनिट को निरपवाद रूप से एक ही वर्गाकार घेरे में एक स्थान पर एक साथ रखा जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट को बैलट यूनिट (टों) के ऊपर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे गए प्ररूप 17-ग के भाग-1 की एक प्रति मतदान

केन्द्र से संबंधित कंट्रोल यूनिट के ऊपर रखी जानी चाहिए। मतदान प्रारंभ होने और मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई घोषणाओं वाले सीलबंद लिफाफे को भी मतदान में प्रयुक्त ई वी एम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए। दर्ज मतों के लेखे की डुप्लीकेट प्रति और पेपर सील लेखा की डुप्लीकेट प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा दूसरे रिकॉर्डों तथा मतदाता रजिस्टर (17क), सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों की रिपोर्टों, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त इनपुट (इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेश को देखें) आदि के साथ रिटर्निंग आफिसर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में, इन कागज-पत्रों/रिकॉर्डों को स्ट्रांग रूम, जहां ई वी एम रखे जाते हैं, में नहीं रखा जाना चाहिए।

- (iv) वोटिंग मशीनों को रखते समय इनकी कतारों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए ताकि बाद में बिना क्रम (मतदान केन्द्रों की क्रम सं. की दृष्टि से) के प्राप्त अन्य मशीनों को पहले प्राप्त एवं रखी गई किन्हीं वोटिंग मशीनों को अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता के बिना उनके उपयुक्त आबंटित स्थान पर रखा जा सके।
- (v) यदि किसी अभ्यर्थी की ऐसी इच्छा हो तो उन्हें उस स्थान, जहां वोटिंग मशीनों को मतगणना होने तक रखा जाता है, पर निगरानी रखने के लिए अपने अभिकर्ता को तैनात करने की अनुमति दी जा सकेगी और उन्हें ऐसे भवन, जिसमें मशीनों को रखा गया है, के दरवाजों एवं खिड़कियों पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाई गई सील के अतिरिक्त अपनी स्वयं की सील लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी वोटिंग मशीनें प्राप्त होने एवं उन्हें रखे जाने के तुरंत बाद, रूम को लॉक कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद मतगणना के लिए नियत दिवस की सुबह तक किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि इस अंतराल के दौरान, किसी अपरिहार्य कारण से, कक्ष को खोला जाना हो तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लिखित में सूचना देकर बुलाया जाना चाहिए और उनकी उपस्थिति में कक्ष को खोला जाना चाहिए और उस प्रयोजन, जिसके लिए रूम को खोला जाता है, के पूरा होने के शीघ्र बाद, अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को पुनः दरवाजे के ताले एवं खिड़कियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (vi) जब कभी उस रूम, जिसमें वोटिंग मशीनें रखी गई हैं, को खोलना आवश्यक हो तो लॉग बुक में समुचित प्रविष्टियां दर्ज की जानी चाहिए जिसमें कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों, ऐसे प्रवेश करने के प्रयोजन, प्रवेश के समय, बाहर निकलने के समय, गार्डों के हस्ताक्षर आदि का ब्योरा होना चाहिए। ये आदेश मूल मतगणना और पुनर्गणना, यदि कोई है, के बीच अंतराल के दौरान वोटिंग मशीनों के भंडारण पर स्वाभाविक रूप से लागू होंगे।

मतदान उपरांत भंडारण: स्ट्रांग रूम, जहां मतदान में प्रयुक्त ई वी एम को मतगणना के लिए रखा जाता है, की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए निम्नलिखित आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा-

- i. स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए। एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पास होनी चाहिए।
- ii. मतगणना के लिए मतदान में प्रयुक्त ई वी एम वाले स्ट्रांग रूम के लिए तीन घेराबंदी वाले सुरक्षा इंतजाम चौबीसों घंटे किए जाने चाहिए। केन्द्रीय पुलिस बल को स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर सबसे भीतरी परीधीय सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होना चाहिए तथा राज्य सशस्त्र पुलिस को सबसे बाहरी परीधीय सुरक्षा के लिए तैनात रहना चाहिए।
- iii. निर्वाचन लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को स्ट्रांग रूम के सुरक्षा इंतजाम पर गहन नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने हेतु लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसे अवस्थान की आंतरिक परिधि के बाहर खड़ा होने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां से वे स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार को देख सकें। जहां तक संभव हो, समुचित शेड, पेय जल आदि जैसी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएंगी। यदि स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार को सीधे नहीं देखा जा सकता है तो ऐसे अवस्थान पर सी सी टी वी का इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि वे सी सी टी वी पर स्ट्रांग रूम के दरवाजे को देख सकें। ऐसी दशा में, उन्हें स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखने, सत्यापित करने और संतुष्ट होने के लिए बैचों में आंतरिक परिधि में आवधिक रूप से ले जाया जाएगा। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके अभिकर्ताओं के लिए चिह्नित स्थान पर एक बड़े टी वी स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम को प्रदर्शित करते हुए सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे स्ट्रांग रूम की अनवरत निगरानी कर सकें।
- iv. स्ट्रांग रूम के निकट नियंत्रण कक्ष को चौबीसों घंटे कार्यशील होना चाहिए।

- v. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ एक राजपत्रित अधिकारी को स्ट्रांग रूम के सुरक्षा इंतजाम के अनुवीक्षण के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए।
- vi. स्ट्रांग रूम के पास एवं भीतर अग्निशामकों का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए।
- vii. अप्रयुक्त ई वी एम की सुरक्षा के लिए भी चौबीसों घंटे इंतजाम होने चाहिए।
- viii. निम्नलिखित प्रोटोकॉलों का अनुपालन किए बिना किसी व्यक्ति को आंतरिक परिधि में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए:-
 - क) केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा लॉग बुक रखा जाएगा जिसमें द्वितीय सुरक्षा घेरा अर्थात् मध्य परिधि को पार करने वाले व्यक्ति (यों) के नाम (मों), उसके (उनके) पार करने की तारीख, समय, अवधि के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। इसमें प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों या पुलिस अधीक्षकों, या अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे शामिल हैं।
 - ख) ऐसे आगंतुकों द्वारा किए गए सभी दौरों का रिकॉर्ड रखने के लिए केन्द्रीय पुलिस बल टुकड़ी को वीडियो कैमरे दिए जाने चाहिए।
- (ix) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ई वी एम रखे जाने की संपूर्ण अवधि के दौरान स्ट्रांग रूम अवस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में संबंधित विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को पृथक रूप से लिखा जाना चाहिए। स्थानीय विद्युत बोर्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानापन्न जेनरेटर्स का अनिवार्य इंतजाम किया जाना चाहिए।
- (x) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त/रिटर्निंग आफिसरों के फोन नंबर अभ्यर्थियों को दिए जाने चाहिए जो इसे स्ट्रांग रूम अवस्थान (नों) पर निगरानी रखने वाले अपने प्रतिनिधियों को दे सकेंगे। अभ्यर्थी अपने प्रतिनिधियों को यह सलाह दे सकेंगे कि वे किसी आपात स्थिति में इन अधिकारियों से संपर्क करें।
- (xi) स्ट्रांग रूम के सभी प्रवेश बिंदुओं (दरवाजे आदि) को उपलब्ध वेबकैम एवं लैपटॉप का प्रयोग करके लगातार वीडियोग्राफी के अधीन रखा जाना चाहिए। यदि स्ट्रांग रूम के अन्य दरवाजे हैं तो उन्हें भी वेबकैम/वीडियोग्राफी द्वारा कवर किया जाना चाहिए।
- (xii) रिटर्निंग आफिसर को भंडारण परिसर का (केवल आंतरिक परिधि तक) प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम में दौरा करना चाहिए और लॉग बुक एवं वीडियोग्राफी की जांच करनी चाहिए तथा प्रत्येक दिन स्थिति के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। जिला मुख्यालय में स्ट्रांग रूम के अवस्थित होने की दशा में, जिला निर्वाचन अधिकारी को यह कार्य करना चाहिए। जहां स्ट्रांग रूम जिला मुख्यालय से बाहर स्थित हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी को यथा संभव बार-बार और कम से कम 3 या 4 दिवसों में एक बार उसका दौरा करना चाहिए।
- (xiii) किसी अधिकारी या मंत्री या किसी अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता के वाहन सहित किसी भी वाहन को सुरक्षित परिसर, जहां ई वी एम रखी गई हैं, के भीतर नहीं आने दिया जाना चाहिए। वाहनों से उतरने का बिंदु बाहरी सुरक्षा परिधि के आगे चिह्नित किया जाना चाहिए, इसके बाद केवल पैदल मार्ग जोन होना चाहिए।
- (xiv) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों के भीतर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तथा प्रोटोकॉल के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। इस मैनुअल की प्रति सभी अभ्यर्थियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों एवं केन्द्रीय पुलिस बल कमांडेंट को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- (xv) मतों की गणना के दिन स्ट्रांग रूम को अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों, रिटर्निंग आफिसर एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अधीन खोला जाना चाहिए।
- (xvi) मतगणना पूरी होने के बाद, कंट्रोल यूनितों को आयोग के विद्यमान अनुदेश के अनुसार सीलबंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ई वी एम (बैलट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) को सुरक्षित भंडारण के लिए वापस स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाना चाहिए।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 94(एए) के तहत निर्वाचन में उपयोग किए जाने के पश्चात और अनुवर्ती निर्वाचनों में उसका इस्तेमाल करने हेतु प्रत्येक ईवीएम की प्रतिधारण अवधि पर आयोग के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

(क) प्रत्येक मतदान मशीन (ईवीएम) जिसका इस्तेमाल निर्वाचन में किया गया हो और जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा गया हो, सुरक्षा के मानक प्रोटोकॉल के तहत, निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि पूरी होने पर (यानी परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिन) संबंधित उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका की स्थिति की पुष्टि किए जाने तक यह अछूती रखी जाए।

(ख) निर्वाचनों के ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्वाचन याचिका दायर नहीं की गई है या कोई अन्य अदालती मामले लंबित नहीं हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम को किसी भी भावी निर्वाचन या किसी अन्य उद्देश्य जैसे संचलन, ईवीएम के भौतिक सत्यापन इत्यादि के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है।

(ग) ऐसे निर्वाचन के मामले में जहां निर्वाचन याचिका दायर की गई हो, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी: -

(i) यदि ईवीएम निर्वाचन याचिका की विषय-वस्तु है तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में प्रयुक्त ईवीएम को जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में तब तक रखा जाएगा जब तक कि न्यायालयों द्वारा निर्वाचन याचिका का निपटान नहीं कर दिया जाता।

(ii) यदि निर्वाचन याचिका का विषय ईवीएम नहीं है, तो किसी भी भावी चुनाव या किसी अन्य उद्देश्य जैसे संचलन, ईवीएम के प्रत्यक्ष सत्यापन आदि के लिए संबंधित ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

(iii) यदि निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल न होने वाली ईवीएम, निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम के साथ जमा हो जाती हैं, तो ऐसी ईवीएम जो निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल नहीं है, को निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम से अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा: -

(क) निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम को खोलने की सूचना निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता/प्रतिवादी और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कम से कम 72 घंटे पहले लिखित रूप में दी जाएगी और स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाएगा।

(ख) जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता/प्रतिवादी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा।

(ग) स्ट्रांग रूम से बाहर लाने के लिए किसी भी निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल न होने वाली ईवीएम को निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल ईवीएम से पृथक करना होगा। स्ट्रांग रूम से इस प्रकार बाहर लाई गई ईवीएम की एक सूची तैयार की जाएगी।

(घ) केवल उन्हीं ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर लाया जाएगा जो किसी भी निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस में शामिल नहीं हैं।

(ङ.) पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

(च) स्ट्रांग रूम से बाहर निकाली गई ईवीएम की सूची की प्रतिलिपि और वीडियोग्राफी की प्रतिलिपि निर्वाचन याचिका/कोर्ट केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को दी जाएगी और पावती प्राप्त की जाएगी।

(घ) यदि कोर्ट केस का कोई अन्य मामला लंबित है, जैसे बूथ कब्जाना, आदि, जिसमें कोई ईवीएम संलग्न है, संबंधित मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की गई उस ईवीएम या ईवीएमों को कथित मामले के अंतिम निपटान होने तक रखा जाए।

(ड.) निर्वाचन याचिका या कोर्ट केस के अंतिम निपटान के बाद, जैसा भी मामला हो, ऊपर उल्लिखित, ईवीएम का उपयोग आगामी निर्वाचनों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिभाषित सुरक्षा उपायों के साथ तकनीकी सुरक्षा लक्षण एक साथ मिलकर ईवीएम को ऐसा बनाते हैं कि विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन या निर्वाचनों के दौरान उपयोग में ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जबकि ओटीपी चिप का उपयोग करने जैसी डिजाइन सुविधाएं, कम्प्यूटर, इंटरनेट, किसी अन्य अनचाहे संचार के लिए वायरलेस या वायर के साथ ईवीएम की गैर-कनेक्टिविटी जैसी तकनीकी सुरक्षा, तथा डाटा अखण्डता की रक्षा के लिए एनकोडिंग जैसी अनेक आंतरिक सावधानियां पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा 24X7 संवीक्षा तथा निर्वाचनों के दौरान महत्वपूर्ण स्थानों पर सील करने तथा हस्ताक्षर करने में उनकी भागीदारी के प्रस्ताव देकर प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के द्वारा छेड़छाड़ की किसी भी संभावना समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार ईसीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली भारतीय ईवीएम विश्व में अद्वितीय हैं तथा ईसीआई के नियंत्रण तथा संरक्षण में छेड़छाड़ रहित हैं।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी)

ई वी एम पर प्रथम तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

- केन्द्रीय सरकार ने जनवरी 1990 में निर्वाचन सुधार समिति (गोस्वामी समिति) नियुक्त की जिसमें कई मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- निर्वाचन सुधार समिति ने महसूस किया कि मशीनों के कार्यकरण की विश्वसनीयता के संबंध में जनता के मन में किन्हीं संदेहों या गलतफहमियों को दूर करने की दृष्टि से मशीनों की जांच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए और यह इच्छा व्यक्त की कि मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में विचार किए गए संदेह एवं गलतफहमी का कोई आधार नहीं है, तकनीकी विशेषज्ञों से एक अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए।
- ई वी एम के मूल्यांकन के लिए प्रोफेसर एस सम्पत्त, अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार समिति, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, प्रोफेसर पी वी इंदिरेशन, आई आई टी दिल्ली और डा. राव सी. कसारबाडा, निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ईआरडीसी, त्रिवेंद्रम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।
- समिति, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा, विनिर्माताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति, निर्वाचन प्रशासकों, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक और विस्तृत प्रयोगशाला जांच के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ई वी एम एक सुरक्षित प्रणाली है। इसलिए, विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल 1990 में आगे और विलंब किए बिना ई वी एम के प्रयोग की एकमत से सिफारिश की।

द्वितीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

- आयोग ने इन मशीनों को निर्वाचनों में वास्तविक प्रयोग के लिए अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले उन्नत ई वी एम (वर्ष 2006 के बाद वाली ई वी एम) का मूल्यांकन करवाने के लिए दिसंबर 2005 में एक बार पुनः तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की जिसमें प्रोफेसर पी. वी. इंदिरेशन, प्रोफेसर डी. टी. साहनी, आई आई टी दिल्ली और प्रोफेसर ए. के अग्रवाल, आई आई टी दिल्ली शामिल थे।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार

नवंबर, 2010 में आयोग ने दो और विशेषज्ञों अर्थात् प्रोफेसर डी. के. शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग विभाग, आई आई टी मुंबई, तथा प्रोफेसर रजत मूना, कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजिनियरिंग विभाग, आई आई टी कानपुर (अब निदेशक, आईआईटी भिलाई) को सम्मिलित करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:-

1. प्रोफेसर डी.टी. साहनी, आईआईटी दिल्ली
2. प्रोफेसर रजत मूना, निदेशक आईआईटी भिलाई
3. प्रोफेसर दिनेश शर्मा, आईआईटी बोम्बे
4. प्रोफेसर ए.के. अग्रवाला, आईआईटी दिल्ली

तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रतिष्ठित अनुभवी तथा विशिष्ट विशेषज्ञ हैं। टीईसी के सदस्यों के पास उनके श्रेय के लिए कई विश्वसनीय और अग्रणी उपलब्धियों के साथ प्रमाणित तकनीकी उत्कृष्टता के साथ एक शानदार अकादमिक रिकॉर्ड है। यह तथ्य कि वे पब्लिक डोमेन में उत्कृष्टता के विभिन्न केन्द्रों से आते हैं जो उनकी क्षमता, योग्यता और विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाता है। ईवीएम/वीवीपीएटी के डिजाइन तथा विकास की दिशा में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए सराहनीय योगदान की भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी प्रशंसा की गई है।

ईवीएम पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की भूमिका

भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के विशिष्ट तकनीकी लक्षण डिजाइन तथा प्रदर्शन सुधार के मूल्यांकन में सहायता करने के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाई हुई है।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की निम्नलिखित भूमिका रही है:-

- (i) ईवीएम/वीवीपीएटी के नए संस्करणों के विनिर्देशनों तथा डिजाइनों का निर्माण करने के लिए सलाह देना ताकि वे हार्डवेयर और साफ्टवेयर डिजाइन दोनों में नवीनतम तकनीक को शामिल कर सकें और छेड़छाड़ के प्रति सुदृढीकरण में सुधार कर सकें।
- (ii) ईवीएम पर विनिर्माताओं के डिजाइन प्रस्तावों की जांच करना तथा सुधार के लिए संस्तुतियां देना।
- (iii) जहां कहीं अनुरोध किया जाए, डिजाइन प्रक्रिया पर परामर्श देना।
- (iv) ईवीएम में छेड़छाड़ पर उठाए गए संदेहों की जांच करना।
- (v) अन्य कोई सलाह जो आयोग चाहे या कोई अन्य तकनीकी कार्य जो आयोग समय-समय पर सौंप सकता है।

आयोग तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ नियमित गहन तथा व्यापक बैठकें आयोजित करता है और ईवीएम/वीवीपीएटी के डिजाइन, तकनीकी विनिर्देशनों तथा संबंधित मामलों या समय-समय पर आने वाले किसी भी प्रकार के अन्य तकनीकी मामलों का पुनरीक्षण करता है।

ईवीएम में तकनीक का विकास एवं समावेशन:

ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों, तेजी से विकसित होती तकनीक पर आधारित हैं। मतदान में ईवीएम के उपयोग के साथ सार्वजनिक तथा राजनैतिक दलों से कई उपयोगी सुझाव आए हैं तथा भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के प्रत्येक संस्करण के साथ नई सुविधाओं को शामिल किया है। इसके साथ ही, समय-समय पर समकालिक सॉफ्टवेयर कार्यप्रणाली में समय अनुसार सुधार हुआ है, समकालिक घटकों में समय अनुसार सुधार हुआ है तथा समकालिक सुरक्षा प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा गया था कि प्रत्येक संस्करण के ईवीएम में सबसे अच्छी प्रणाली उपयोग की जा रही है। इसके बावजूद भी ईवीएम की छेड़छाड़-रहित प्रकृति का सभी संस्करणों में सर्वाधिक महत्व रहा है। उस सीमा तक सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग उस समय उपलब्ध तकनीक के आधार पर किया गया था तथा ईवीएम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया था। ईवीएम के उपयोग पर भारत निर्वाचन आयोग की सख्त प्रशासनिक पद्धतियों ने ही वर्षों तक ईवीएम के विश्वसनीय अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की सलाह पर ईवीएम में, समय-समय पर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के लिए उपलब्ध तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित कुछ लक्षण जोड़े गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में अत्याधुनिक तकनीक की उपलब्धता के कारण ईवीएम के डिजाइन में सुधार किए गए हैं, पूर्व संस्करण के ईवीएम में भी ऐसे मुख्य लक्षण उपलब्ध थे। इन सभी के बावजूद, ईवीएम की छेड़छाड़-रहित प्रकृति का ईवीएम के सभी संस्करणों में सर्वोच्च महत्व रहा है। इसके साथ-साथ ईवीएम के उपयोग पर भारत निर्वाचन की सख्त प्रशासनिक पद्धतियों ने वर्षों तक ईवीएम का विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित किया है।

तकनीकी प्रगति के कारण एम2(2006के बाद वाली) ईवीएम में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कुछ निम्नलिखित नए लक्षण जोड़े गए:-

- (i) बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट के बीच सक्रिय कोडिंग।
- (ii) रीयल टाइम क्लॉक
- (iii) कुंजी दबाए जाने का समय-अंकन

तकनीक में नवीनतम विकास के कारण एम3(2013 के बाद वाली) ईवीएम में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कुछ निम्नलिखित नए लक्षण जोड़े गए:-

- (i) ईवीएम के सभी संघटक जैसे बीयू, सीयू एव वीवीपीएटी के बीच पारस्परिक अभिप्रमाणन
- (ii) स्वचालित स्व-निदान
- (iii) बैटरी लाइफ भविष्यवाणी
- (iv) कवर खोलने पर निष्क्रिय
- (v) वास्तविक इकाइयों की पहचान के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण

एम2 वीवीपीएटी के लक्षण:-

- (i) थर्मल पेपर पर अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या एवं निर्वाचन प्रतीक का मुद्रण
- (ii) त्रुटि पता लगाने के लिए सेंसर
- (iii) एम2 से एम3 में अद्यतित की जा सकती है।

तकनीकी विकास के कारण एम3 वीवीपीएटी में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा जोड़े गए लक्षण:-

- (i) 384 अभ्यर्थियों तक का प्रबंधन करने के लिए 01 कंट्रोल यूनिट से जुड़ी 24 बैलेट यूनिट तक जोड़े जाने में सक्षम।
- (ii) बीईएल तथा ईसीआईएल ईवीएम के बीच अंतर-संचालनीयता
- (iii) कवर के खोलने पर निष्क्रिय
- (iv) वास्तविक इकाइयों की पहचान के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण।

तथा इलेक्शन प्रोसेस एडवायजरी कमीशन (ईपीएसी) की स्थापना क्रमशः 19 दिसम्बर, 2006 तथा 18 जनवरी, 2007 को भी गई थी।

दोनों आयोगों की टिप्पणियों के अनुसरण में, एनईडीएपी मशीनों तथा इलेक्ट्रानिक सुरक्षित वोटिंग को निम्नलिखित कारणों से 2007 में बंद कर दिया गया:-

- नीदरलैण्ड के इंटीरियर और किंगडम रिलेशन मंत्रालय (एसओआईकेआर) को एनईडीएपी के बारे में ज्ञान का अभाव था जिसकी वजह से निर्वाचनों के संचालन के लिए अधिकारियों को बाहरी कार्यकर्त्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता था।
- प्रौद्योगिकी वेंडर निर्णय प्रक्रिया के भाग बन गए और मंत्रालय प्रभावकारी पर्यवेक्षण करने की स्थिति में नहीं था।
- एप्लाइड साइन्टिफिक रिसर्च के लिए डच संगठन (Togpast Natuur Wetenschappelijk Onderzoek, TNO) ने इन मशीनों को प्रमाणित किया और इनकी जांच की तथा इन्हें 'आउटडेटेड स्टैन्डर्ड' वाला कहा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी खतरों से सुरक्षित नहीं थी।
- इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण और जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया जिससे स्वतंत्र विशेषज्ञों को विश्लेषण का सत्यापन करने से वंचित रखा गया।
- विधिक ढांचा, विशेषतौर से आवश्यक सुरक्षा अपेक्षाएं, इलेक्ट्रानिक मतदान प्रक्रिया की विशेषताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त था।

(<https://www.ndi.org/sites/default/files/5netherlands.pdf>)

जर्मनी:

2005-2009 के दौरान जर्मनी में एनईडीएपी मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचनों की सार्वजनिक प्रकृति, (मूल विधि के अनुच्छेद 20.1 और 20.2 के संयोजन में अनुच्छेद 38) के उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसकी यह अपेक्षा है कि जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायोचित न ठहरायें, निर्वाचनों में सभी आवश्यक चरण सार्वजनिक परीक्षण के अधीन हैं।

- एनईडीएपी इलेक्ट्रानिक मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचनों की सार्वजनिक प्रकृति, (मूल विधि के अनुच्छेद 20.1 और 20.2 के संयोजन में अनुच्छेद 38) के उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसकी यह अपेक्षा है कि जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायोचित न ठहरायें, निर्वाचनों में सभी आवश्यक चरण सार्वजनिक परीक्षण के अधीन हैं।
- इसने यह भी पाया कि 'नागरिकों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में आवश्यक सोपानों की जांच करना और बिना किसी विशिष्ट विशेषज्ञ की जानकारी से परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए'

(<http://www.bundesverfassungsgcricht.de/shared/docs/Entscheidungen/En/2009/03/cs200903032bvc000307en.html;jessio nid=FEA71E86E2CEEo#oFF7AAAC90572279C.2cid383>)

2002-2004

2002-2004 के दौरान जर्मनी में एनईडीएपी मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचनों की सार्वजनिक प्रकृति, (मूल विधि के अनुच्छेद 20.1 और 20.2 के संयोजन में अनुच्छेद 38) के उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसकी यह अपेक्षा है कि जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायोचित न ठहरायें, निर्वाचनों में सभी आवश्यक चरण सार्वजनिक परीक्षण के अधीन हैं।

- भा.नि.आ. की ईवीएम बेजोड़ और नेटवर्क रहित मशीनें हैं।
- भा.नि.आ. की ईवीएम का निर्माण दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाता है अर्थात् ईसीआईएल और बीईएल, न कि अन्य देशों में प्रयोग की जा रही मशीनों की तरह, जिनका निर्माण पूरी तरह से निजी कंपनियां करती हैं। इस प्रकार से ईसीआई की ईवीएम के निर्णय लेने अथवा इसके निर्माण में निजी व्यापारियों अथवा तकनीकी विक्रेताओं का निहित स्वार्थ होने का कोई अंदेशा या अवसर नहीं रह जाता है।
- ईसीआई की ईवीएम की संपूर्ण जांच प्रक्रिया करने के पश्चात् एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा इन्हें बार-बार सफलतापूर्वक प्रमाणित और सत्यापित किया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एसटीक्यूसी, एक प्रत्यायित तृतीय पक्ष कंपनी, निर्माताओं द्वारा तैयार ईसीआई की मशीनों का मानकीकरण एवं सत्यापन करती है लेकिन नीदरलैंड में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।
- ईसीआई की ईवीएम में डाटा मशीनों के अन्दर ही स्टोर होता है और इसे किसी भी डिवाइस से अंतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य देशों में जहां डीआरएस में मतदान का डाटा रिकार्ड किया जाता है और इसे सीडी आदि के द्वारा अंतरित किया जाता है।
- आयोग द्वारा ईसीआई की मशीनों के प्रयोग, भण्डारण और परिवहन ट्रेकिंग के लिए संपूर्ण सुरक्षा नियम और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं; जबकि अन्य देशों में जहां एनईएपी मशीनों का उपयोग किया जाता है ऐसा नहीं किया गया है
- नीदरलैंड के एमओआईकेआर में ऐसा नहीं किया जाता है किन्तु, आयोग को प्रतिष्ठित प्रोफेसरो वाली एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का संपूर्ण सहयोग मिलता है।
- प्रत्येक ईवीएम पर एक विशिष्ट नम्बर होता है जिसे ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचन आयोग के डाटाबेस में रिकार्ड किया जाता है। ईवीएम की इस संख्या की डाटाबेस में कभी भी पुनर्जांच की जा सकती है।
- इन मशीनों में प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर की एक ही बार प्रोग्रामिंग (ओटीपी) की जा सकती है, जिसमें विनिर्माण के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- देशभर में विधिक ढांचे के अनुसार ईसीआई की ईवीएमस को सदैव कड़ी, एक समान, उच्च स्तर की प्रशासनिक और भौतिक सुरक्षा में रखा जाता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61ए के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। देशभर में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कई बार विभिन्न निर्णयों में ईवीएम के प्रयोग का अनुमोदन किया गया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 में ईसीआई की ईवीएम को इसकी पारदर्शिता और अद्भुत क्षमता के कारण इसे "राष्ट्र का गौरव" घोषित किया था।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी तकनीक प्रारंभ की है ताकि सार्वजनिक परख सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2019 तक आयोग पूरे देश में वीवीपीएटी लागू करने के प्रति कटिबद्ध है। इस प्रकार डाले गए प्रत्येक मत की शत प्रतिशत मतदाता प्रामाणिकता और संपरीक्षणता हो जाएगी, जबकि इसके विपरित एनईडीएपी मशीनों में ऐसी सुविधा के अभाव में जर्मनी के उच्चतम न्यायालय ने इन मशीनों के उपयोग को असंवैधानिक कहते हुए इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी थी जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने देश में निर्वाचनों के आयोजन में ईवीएम के प्रयोग को अनुमोदित किया है।
- अतः ईसीआई की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की किसी अन्य स्थान पर उपयोग की जा रही मशीनों से तुलना करना अव्यावहारिक है।

वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को आयोजित सभी राजनैतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम के प्रति संतोष प्रकट किया किंतु कुछ दलों ने आयोग से अनुरोध किया कि मतदान प्रक्रिया में आगे और पारदर्शिता एवं सत्यापनीयता (वेरिफायबिलिटी) के लिए वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग शुरू किया जाए। वीवीपीएटी जैसे उपकरण को न्यूयार्क शहर में पहली बार मार्च 2001 में प्रदर्शित किए जाने और 2002 में सेक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में प्रथम बार प्रयोग करने के बाद, भारत में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ समय तक वीवीपीएटी की मांग आती रही। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह मांग तकनीकी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दी गई।

वीवीपीएटी का प्रयोग शुरू करने में यह अन्तर्निहित है कि एक पेपर पर्ची जैनरेट की जाती है जिसमें कंट्रोल यूनिट में वोट की रिकार्डिंग के साथ अभ्यर्थी का नाम एवं प्रतीक विद्यमान रहता है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में ईवीएम पर प्रदर्शित किए जा रहे परिणाम को सत्यापित करने के लिए पेपर पर्ची की गणना की जा सके। वीवीपीएटी के अधीन बैलटिंग यूनिट के साथ एक प्रिंटर संलग्न किया जाता है और इसे मतदान कम्पार्टमेंट में रखा जाता है। एक पारदर्शी खिड़की के जरिए वीवीपीएटी पर पेपर पर्ची 07 सेकंड के लिए दिखाई देती है। इस बारे में जांच करने और इस पर सिफारिश करने के लिए आयोग ने इस मामले को ईवीएम संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) को भेजा। विशेषज्ञ समिति ने ईवीएम निर्माताओं, नामतः बीईएल एवं ईसीआईएल के साथ इस मुद्दे पर अनेक बैठकों की और उसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिजाइन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए उन्होंने राजनीतिक दलों और अन्य सिविल सोसाइटी सदस्यों से मुलाकात की।

विशेषज्ञ समिति के निदेश पर, बीईएल एवं ईसीआईएल ने इसकी एक प्रतिकृति बनाई और इसे वर्ष 2011 में समिति एवं आयोग के समक्ष प्रदर्शित किया। ईवीएम एवं वीवीपीएटी प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, आयोग ने जुलाई 2011 में लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर), तिरुवनंतपुरम (केरल), चैरापूंजी (मेघालय), पूर्वी दिल्ली जिला (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) तथा जैसलमेर (राजस्थान) में वीवीपीएटी के क्षेत्र परीक्षण हेतु छद्म निर्वाचन संचालित किया। राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं एवं सिविल सोसायटी के सदस्यों सहित सभी हितधारियों ने क्षेत्र परीक्षण में भाग लिया तथा इसे उत्साहपूर्वक देखा। वीवीपीएटी प्रणाली के प्रथम क्षेत्र परीक्षण के बाद, आयोग ने वीवीपीएटी को और अधिक सुचारू बनाने के लिए वीवीपीएटी प्रणाली का विस्तृत पुनर्आकलन किया। तदनुसार, विनिर्माताओं ने वीवीपीएटी प्रतिकृति का दूसरा संस्करण (वर्जन) विकसित किया।

इसका पुनः जुलाई-अगस्त 2012 में दूसरा क्षेत्र परीक्षण किया गया।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति की 19.02.2013 को आयोजित बैठक में, समिति ने वीवीपीएटी का डिजाइन अनुमोदित किया और आयोग से सिफारिश भी की कि वीवीपीएटी को प्रयोग करने के लिए नियमों के संशोधन के बारे में कार्रवाई की जाए। 10 मई, 2013 को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों के सामने इस मॉडल का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार ने संशोधित निर्वाचन संचालन नियम, 1961 को 14 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया जिससे आयोग ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग करने में समर्थ हो गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का पहली बार प्रयोग नागालैण्ड के 51-नोकसेन (अनुसूचित जनजाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में 4 सितंबर 2013 को किया।

8 अक्टूबर, 2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर अपने न्यायनिर्णय में वीवीपीएटी को चरणों में शुरू करने का आदेश दिया और सरकार से इसके प्रापण के लिए निधियां मंजूर करने के लिए कहा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी प्रणाली चरणबद्ध तरीके से शुरू की ताकि वर्ष 2019 तक इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा सके। वर्ष 2013 में भारत निर्वाचन आयोग ने 20,000 वीवीपीएटी प्राप्त किए। 25 नवंबर, 2013 को मिजोरम की 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, 4 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में और उसके बाद अनुवर्ती निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग आरंभ किया गया।

निम्नलिखित तालिका हमें एक झलक में भारत में वीवीपीएटी के सफर के बारे में बताती है।

दिनांक	कालक्रम के अनुसार घटनाएं
4 अक्टूबर 2010	एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी शुरू करने पर सहमति बनी।
जुलाई 2011	प्रोटोटाइप निर्मित होने के पश्चात, तिरुवनंतपुरम (केरल), दिल्ली, चेरापूंजी (मेघालय) जैसलमेर (राजस्थान) और लेह (जम्मू-कश्मीर) में फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया।
जुलाई-अगस्त 2012	दूसरा फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया।
19 फरवरी 2013	तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम मॉडल अनुमोदित किया गया
10 मई 2013	सभी राजनीतिक दलों को मॉडल प्रदर्शित किया गया।
14 अगस्त 2013	निर्वाचन संचालन नियम 1961 संशोधित किया गया और अधिसूचित किया गया।
4 सितंबर 2013	भारत निर्वाचन आयोग ने नागालैण्ड में 51 नोकसेन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचनों में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग किया।
8 अक्टूबर 2013	माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी प्रणाली शुरू करने का आदेश दिया। इसे पूरी तरह से 2019 तक क्रियान्वित किया जाना होगा।
25 नवम्बर 2013	मिजोरम के 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी प्रयोग किए गया।
4 दिसंबर 2013	दिल्ली के एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में और उसके बाद अनुवर्ती निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया।
फरवरी-मार्च 2017	पंजाब में 33 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मणिपुर में 6 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तराखंड में 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 30 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और गोवा में 40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 52, 000 वीवीपीएटी प्रयोग किए गए।
अप्रैल 2017	सरकार से कुल 3173.47 करोड़ रुपए** की अनुमानित लागत से 16, 15, 000 वीवीपीएटी की खरीद का अनुमोदन प्राप्त किया गया। ** 16,15,000 2616.30
12 मई 2017	100%
19 अक्टूबर, 2017	100%
11 अक्टूबर 2017	01

वर्तमान मुद्दे एवं विवाद:

मार्च 2017 में राज्य विधान सभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद, कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम को छेड़छाड़ किए जाने योग्य बताते हुए, इसके जरिए निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में संदेह व्यक्त किया है और इसीलिए इसे एक अविश्वनीय मतदान उपकरण कहा है।

10.4.2017 को तेरह (13) राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आयोग से मिले और ईवीएम के प्रयोग से की जाने वाली मतदान प्रणाली की पारदर्शिता के बारे में सरोकार जताते हुए उन्होंने एक संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इन दलों के कुछ नेता लोकप्रिय मतों के डाले जाने और उनके रिकार्ड किए जाने के लिए ईवीएम के प्रयोग के खिलाफ अपनी आशंका जताते हुए और अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए या तो भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से मिले या उन्हें पत्र लिखे। उनके द्वारा आयोग को दी गई याचिकाओं और प्रतिवेदनों के कुछ उद्धरण फिर से नीचे प्रस्तुत हैं:

- “ उपर्युक्त के आलोक में, आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि (क) वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर/डीआरओ, भिंड, को बदलने/प्रतिस्थापित करने पर विचार करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए यह एक न्यूनतम अपेक्षा है। (ख) भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के दो उप-निर्वाचनों में तैनात की गई सभी मतदान मशीनों की प्रामाणिकता का पुनरीक्षण एवं पुनः सत्यापन करने हेतु निष्पक्ष एवं आरोप-रहित विशेषज्ञों की नियुक्ति का आदेश दे सकता है जिसे राजनीतिक दलों और/या अभ्यर्थियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पारदर्शिता पूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। (ग) यह आवश्यक है कि संपूर्ण प्रक्रिया की फिर से पूर्णतया जांच की जानी चाहिए और मशीनों के अनुरक्षण, प्रचालन और डाटा संभरण से जुड़े व्यक्तियों एवं एजेंसियों और आगे आने वाले निर्वाचनों में ईवीएम के प्रयोग से पहले भंडारण सहित अन्य ड्यूटियों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाना चाहिए...” । *(अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दिनांक 01-04-2017 का पत्र)*
- “ भिंड की घटना के संबंध में, कृपया अपने अधिकारियों की उपस्थिति में उस विशेष मशीन की जांच करने की हमें अनुमति दें। ऐसी गंभीर आशंका है कि इसका साफ्टवेयर बदल दिया गया है।” *(आम आदमी पार्टी का दिनांक 03-04-2017 का पत्र)*
- “ यह सभी संबंधित राजनीतिक दलों के सर्वोपरि हित में है कि इन घटनाओं/आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और इसके बारे में सच्चाई को भारत की जनता के समक्ष लाया जाए.....। यह अत्यावश्यक है कि भारत निर्वाचन आयोग, जिसके पास स्पष्ट, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय और राज्यीय निर्वाचनों का संचालन करने का अधिदेश है, प्रमुख राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए सरोकारों एवं आशंकाओं पर तब तक जरूरी रूप से ध्यान दे जब तक कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ एवं गडबडी करने संबंधी मुद्दों का निराकरण न हो जाए और वैश्विक आधार पर ईवीएम की छेड़-छाड़ रहित और परिशुद्ध प्रौद्योगिकी स्थापित एवं पृष्ठांकित न हो जाए तथा राजनीतिक दलों की संतुष्टि के लिए आगामी निर्वाचन पुरानी मतपत्र-प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जाने चाहिए।” *(राजनैतिक दलों की ओर से दिनांक 10-4-2017 का अभ्यावेदन)*
- दो और घटानाएं आयोग की जानकारी में लाई गईं - एक भिंड (मध्य प्रदेश) से संबंधित और दूसरी धौलपुर (राजस्थान) से संबंधित। घटनाओं की जांच की गई और तथ्य इस प्रकार हैं:

- जहां तक जिला भिंड के अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की घटना का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन 9 अप्रैल 2017 को आयोजित होने थे। 31 मार्च, 2017 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने जिला भिंड की अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन हेतु मतदान की तैयारी की जांच करने के लिए एक संवीक्षा बैठक आयोजित की थी। संवीक्षा बैठक समाप्त करने के बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक की और उन्होंने बैठक हॉल के नजदीक आयोजित वीवीपीएटी युक्त ईवीएम मशीन के प्रदर्शन में भाग लिया। वीवीपीएटी युक्त ईवीएम के प्रदर्शन के पश्चात्, बैठक हाल में मीडिया कर्मियों ने कुछेक मुद्दे उठाए और वीवीपीएटी मशीन द्वारा एक विशेष राजनीतिक दल के एक ही प्रतीक के प्रिंट होने के बारे में आरोप लगाए। आयोग ने 31 मार्च 2017 को भिंड में ईवीएम-वीवीपीएटी प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में तत्काल एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया कि आरोप पूर्णरूप से अप्रमाणित एवं आधारहीन थे। श्री भंवरलाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि 31 मार्च, 2017 को अटेर (भिंड) में प्रदर्शन के दौरान प्रयोग की गई ईवीएम एवं वीवीपीएटी में कोई अनियमितता या छेड़छाड़ नहीं पाई गई। 31 मार्च 2017 के प्रदर्शन के मतपत्र यूनिट (बीयू), नियंत्रण यूनिट (सीयू) और वीवीपीएटी की तकनीकी जांच, प्रदर्शन के दौरान उपस्थित अधिकारियों की मौखिक जांच और सीयू से पुनः प्राप्त किए गए आंकड़ों ने अंतिम रूप से यह सिद्ध कर दिया कि प्रदर्शन के दौरान बीयू के 4 बटन निम्नलिखित क्रम से दबाए गए:

बटन सं.	प्रतीक	अभ्यर्थी का नाम
03	हैंड पंप	राजू पाल
04	कमल	सत्य देव पचोरी
03	हैंड पंप	राजू पाल
01	हाथ	अंबुज शुक्ला

इसलिए, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2017 को आयोजित प्रदर्शन के दौरान ईवीएम पर चार बटनों को दबाने से सही संगत प्रतीक प्रदर्शित हुए, न कि किसी विशेष दल के प्रतीक प्रदर्शित हुए। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल आरक्षित वीवीपीएटी, जोकि निर्वाचन याचिका का हिस्सा नहीं थी, दूसरी जगह में आयोजित किए जा रहे अन्य सभी उप-निर्वाचनों के लिए यथा प्रयोज्य भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश में कानपुर से लाई गई थी। कोई भी ईवीएम उत्तर प्रदेश से नहीं लाई गई थी।

वास्तव में, 31 मार्च 2017 को सक्षम अधिकारियों द्वारा ईवीएम मशीन के छद्म प्रदर्शन पर आयोग के विहित प्रोटोकालों और अनुदेशों के अननुपालन की वजह से भ्रान्ति पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, कानपुर जिले में गोविंदनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की वीवीपीएटी में पहले से संचित किए गए प्रतीकों एवं नामों के आंकड़ों को मिटाया नहीं गया था। तथापि, प्रत्येक बटन को दबाने पर एक ही प्रतीक आने वाले आरोप सर्वथा और पूर्णतया गलत एवं निराधार थे। कुछ भी हो, आयोग ने प्रक्रियात्मक चूकों और मौजूदा अनुदेशों के अननुपालन पर गंभीरता से विचार किया और उक्त चूक के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरु कर दी। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किया गया विस्तृत प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे अनुबंध-2 के रूप में भी दिया गया है।

- धौलपुर की घटना, 9 अप्रैल 2017 को राजस्थान में धौलपुर उप निर्वाचनों में 18 छेड़छाड़ की गई और खराब ईवीएम के बारे में वास्तविक रूप से गलत एवं भ्रामक समाचारों से संबंधित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी एक दल को दिए गए मत दूसरे दल के रिकार्ड में जा रहे थे। इस संबंध में, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक विस्कृत रिपोर्ट मांगी गई और इस मामले की उचित जांच की गई। आरोपों के विपरीत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा यह पुष्टि की गई कि मतदान से पहले 8 ईवीएम बदली गई और तैनात की गई 231 में से धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल

(क) राज्य विधान सभाओं के साधारण और उप-निर्वाचनों के मामले में प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों पर यादृच्छिक रूप से चुने गए 01 मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन।

(ख) लोक सभा के साधारण और उप-निर्वाचनों के मामले में संबद्ध संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के यादृच्छिक रूप से चुने गए 01 मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का सत्यापन।

□□ □□ 792 □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□

□□□बंध-1

□□□□/□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□	□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□			
□□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□□□□□ □□□□□□	2004	2009	2014	
□□□□□□□□ □□□□□□	2004	2009	2014	
□□□	2001	2006	2011	2016
□□□□□	2000	2005	2010	2015
□□□□□□□□□□	2000	2003	2008	2013
□□□□□	2002	2007	2012	2017
□□□□□□□	2002	2007	2012	2017
□□□□□□□□	2000	2005	2009	2014
□□□□□□□ □□□□□□□	2003	2007	2012	2017
□□□□□- □□□□□□*	2000	2004	2009	2014
□□□□□□□□	2000	2005	2010	2014
□□□□□□□□	2004	2008	2013	2018
□□□□□	2001	2006	2011	2016
□□□□□ □□□□□□□	2003	2003	2013	
□□□□□□□□□□□□	2004	2009	2014	
□□□□□□□	2002	2007	2012	2017
□□□□□□□	2003	2008	2013	2018
□□□□□□□□	2003	2008	2013	
□□□□□□□□□□	2003	2008	2013	2018
□□□□□□□	2000	2004	2009	2014
□□□□□□	2002	2007	2012	2017
□□□□□□□□□□	2003	2008	2013	
□□□□□□□□	2004	2009	2014	
□□□□□□□□□□	2001	2006	2011	2016
□□□□□□□□□□	2003	2008	2013	2018
□□□□□□ □□□□□□	2002	2007	2012	2017
□□□□□□□□□□□□	2002	2007	2012	2017
□□□□□□□ □□□□□□	2001	2006	2011	2017
□□□□□□□	2003	2008	2011	2017
□□□□□□□□□□	2001	2006	2011	2016

□□□ : **113** □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□ **2004, 2009** □□ **2014** □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□

और प्रतीक वीवीपीएटी मशीन के स्क्रीन पर दिखाई देगा और नाम और प्रतीक दर्शाने वाली पेपर स्लिप वीवीपीएटी के साथ जुड़े हुए सीलबद्ध बक्से में गिर जाएगी। इन पर्चियों को मतदाता द्वारा ईवीएम में डाले गए मत के ऑडिट ट्रेल के रूप में माना जाएगा। ऑडिट ट्रेल मतदाताओं के भरोसे और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। ईवीएम सहित वीवीपीएटी का प्रयोग ईवीएम के संबंध में गलत रूप से सूचित सभी संदेहों और आशंकाओं को निश्चित रूप से समाप्त कर देगा। यह एक गर्व का विषय भी होगा कि 100% वीवीपीएटी या पेपर ट्रेल का प्रयोग करके भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा, यह एक ऐसा तत्व है जो कि नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड सहित बहुत से देशों में नहीं था। 100% परिनियोजन हेतु अपेक्षित वीवीपीएटी की खरीद के लिए निधियों की संस्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है और इसका उत्पादन अगस्त, 2017 में आरंभ हो जाएगा, जिसे सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

- (II) यह भी कहा गया था कि आयोग ने वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया है। आयोग एक निश्चित प्रतिशत तक ही वीवीपीएटी पर्चियों की गणना करेगा, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा ही किया जाएगा। आयोग इस संबंध में शीघ्र ही एक उचित रूपरेखा तैयार करेगा।
 - (III) आयोग एक चुनौती रखेगा और सभी राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर देगा कि हाल ही में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएम से क्या छेड़छाड़ हुई थी या यह कि ईसीआई के प्रशासनिक और निर्धारित तकनीकी सुरक्षापायों के अधीन भी ईवीएम से क्या छेड़छाड़ की जा सकती है।
 - (IV) आयोग ने सभी दलों से यह आग्रह भी किया कि वे निर्वाचनों के दौरान सभी महत्वपूर्ण कदमों में अपनी सतत और गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित करें यथा प्रथम स्तरीय जांच(एफएलसी), ईवीएम/वीवीपीएटी/ मतदान कार्मिकों का यादृच्छिकीकरण, ईवीएम तैयार करना और अभ्यर्थी सेटिंग, छद्म मतदान, ईवीएम सील करना और उसका भंडारण करना। आयोग ने राजनैतिक दलों से इस संबंध में कुछ और सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे उनकी सहभागिता को और बढ़ाया जाए ताकि हर समय संपूर्ण पारदर्शिता बनाई रखी जा सके।
 - (V) आयोग ने राजनैतिक दलों से यह भी आग्रह किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में सुधार लाना सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। हमने निर्वाचन और गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए उनसे सुझाव मांगे थे। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूर्ण पारदर्शिता चाहता है और उसके पास लोगों और अन्य हितधारकों से छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आयोग अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपने हितधारकों से सर्वदा सुझाव प्राप्त करता रहेगा।
 - (VI) आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि आयोग प्रतिबद्ध है और यह सभी दलों और समूहों से समान दूरी बनाए रखता है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका कोई पसंदीदा नहीं है। साथ ही ईसीआई द्वारा इस समान दूरी बनाए रखने से वैश्विक समुदाय की नजरों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
8. आयोग ने पहले ही, 07 अप्रैल, 2017 को भिंड (मध्य प्रदेश) में तथा साथ ही 11 अप्रैल, 2017 को धौलपुर(राजस्थान) में ईवीएम के संबंध में, भी 31 मार्च, 2017 को छद्म ईवीएम प्रदर्शन (यथा अभिकथित वास्तविक मतदान में नहीं) के दौरान कथित वीवीपीएटी घटना पर 16 मार्च, 2017 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर विस्तृत प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। भिंड में एक गलत धारणा बना दी गई कि बैलेट यूनिट पर दबाए गए किसी भी बटन से वीवीपीएटी द्वारा केवल एक ही प्रतीक मुद्रित हो रहा था। आयोग की संपूर्ण जांच से यह स्पष्ट हो गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 31.03.2017 को हुए डेमो, के दौरान चार बटन दबाए गए थे न कि वास्तविक मतदान के दौरान, और प्रत्येक बार सही सदृश प्रतीक ही मुद्रित हो रहा था। दिनांक 12 मई, 2017 को सभी हितधारकों को ईवीएम पर 'स्टेटस पेपर' परिचालित किया गया, जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी के संबंध में विभिन्न पहलुओं की सूचना और जागरूकता हेतु व्याख्या की गई थी। (ये सभी दस्तावेज ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)।

9. हाल ही में महाराष्ट्र और अन्यत्र हुए नगर-पालिका निर्वाचनों के दौरान ईवीएम की तथाकथित छेड़छाड़ की कुछ शिकायतों ने भी ईसीआई की ईवीएम के संबंध में गलत धारणा बनाई। यह देखा गया था कि बहुतों के मस्तिष्क में ईसीआई के क्षेत्राधिकार के संबंध में दुविधा है। हम इस अवसर पर एक बार पुनः यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईसीआई देश में राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय के निर्वाचनों के संचालन और परिणामस्वरूप संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंगीकृत विभिन्न प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय निकायों के ग्रामीण और शहरी, दोनों ही तरह के निर्वाचनों का संचालन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग, एक पृथक संवैधानिक प्राधिकरण, द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, मुम्बई नगर निगम निर्वाचनों में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शून्य मत प्राप्त करने की विशेष शिकायत एसईसी, महाराष्ट्र द्वारा पूर्णतः असत्य पाई गई है।
10. आयोग ईवीएम की सत्यनिष्ठा, उसके साथ छेड़छाड़ न कर सकने और उसकी विश्वसनीयता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। आयोग के आत्मविश्वास का आधार विस्तृत तकनीकी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षोपाय हैं जो हमारी ईवीएम और वीवीपीएटी की विनिर्माण, परिवहन, भंडारण, मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाव करते हैं। फिर भी, आयोग सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करता रहता है कि किस प्रकार से हमारी ईवीएम और वीवीपीएटी की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता में और अधिक सुधार लाया जा सकता है। आयोग ईवीएम प्रचालन के संबंध में संदेह की छाया भी नहीं पड़ने देगा।
11. आयोग उन सभी महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता है जो कि पिछले दो महीनों में समय-समय पर उठाए गए हैं:

क) ईसीआई-ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये स्टैंड-अलोन मशीनें हैं और ये मतदान के दौरान किसी भी समय इंटरनेट और/या किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती हैं। अतः, इसमें हैकिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईसीआई-ईवीएम में किसी प्रकार का फ्रीक्वेंसी(आवृत्ति) रिसीवर या वायरलेस के लिए डाटा डीकोडर नहीं होता है और इसलिए यह वायरलेस द्वारा कोई भी कोडेड सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः बाहरी हार्डवेयर वायरलेस, वाई-फाई या ब्लूटूथ युक्ति के माध्यम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ये मशीनें सर्वदा ईसीआई और इसके निर्वाचन प्राधिकारियों के संरक्षण में होती हैं।

ख) विनिर्माण स्तर पर छेड़छाड़ को खारिज किया जाता है क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के संबंध में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है। इसके अतिरिक्त, मशीनों को वर्ष 1989 से शुरू करके विभिन्न वर्षों में विनिर्मित किया गया है। विनिर्माण के पश्चात ईसीआई द्वारा ईवीएमों को राज्यों के अंदर राज्यों तथा जिलों में भेजा जाता है। इतने वर्षों पहले से ही विनिर्माता इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे यह जान पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से कौन सा अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ेगा और बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थियों का क्या क्रम होगा और इसलिए विनिर्माण स्तर पर पूर्वनिर्धारित तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

ग) की बटन दबाकर ट्रोजन हॉर्स को सक्रिय करके परिणामों को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि

1. ट्रोजन हॉर्स को माइक्रोकंट्रोलर चिप में बर्न हुई भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम के सॉफ्टवेयर कोड में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि चिप केवल एक बार ही प्रोग्रामेबल है।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा उपायों ने ईवीएम तक पहुंच बनाना असंभव कर दिया है जो ट्रोजन हॉर्स डालने के लिए माइक्रो-कंट्रोलर को बदलने की कोशिश करने के लिए आवश्यक पूर्वपेक्षा है।
3. कंट्रोल यूनिट एक समय में केवल एक ही बटन दबाने के लिए बैलेट यूनिट को सक्रिय करती है। बैलेट यूनिट पर किसी भी अतिरिक्त बटन के दबाए जाने पर कंट्रोल यूनिट जड़ हो जाती है और इसमें कितने भी बटन दबाने या गुप्त कोडों द्वारा सिग्नल भेजना असंभव हो जाता है। जब सीयू में बैलेट बटन को दबाया जाता है, तो सीयू मत को रजिस्टर करने में बीयू को सक्षम बना देता है और बीयू में बटन दबाने की प्रतीक्षा करता है। इस अवधि के दौरान, जब तक कि उस मत को डालने की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक सीयू के सभी बटन निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बैलेट यूनिट में मतदाता द्वारा एक बार कोई भी बटन (अभ्यर्थी मत बटन) दबा दिया

जाता है तो बैलेट यूनिट मुख्य सूचना गतिशील रूप से एन्क्रिप्टेड फार्म में कन्ट्रोल यूनिट को भेज देती है। कन्ट्रोल यूनिट को डाटा मिल जाता है और वह साथ ही बीयू में लाल एलईडी लैम्प को चमकाकर उसके प्राप्त होने की सूचना देता है। सीयू में मतदान के समर्थ होने के पश्चात सीयू द्वारा केवल "फर्स्ट की प्रेस" का संकेत स्वीकार किया जाता है।

इसके बाद, यदि मतदाता दूसरे बटनों को दबाता जाता है तो उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन बाद में दबाए गए बटनों से सीयू और बीयू के बीच कोई संचार नहीं होगा और न ही बीयू कोई भी दबाए गए बटन को रजिस्टर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक सीयू का प्रयोग करते हुए प्रत्येक समर्थित बैलेट के लिए केवल एक ही वैध बटन (फर्स्ट की प्रेस) को दबाया जाएगा। जब एक बार वैध बटन (मतदान प्रक्रिया) दबा दिया जाता है तो जब तक कोई अन्य मतपत्र सक्षम बटन नहीं दबाया जाता, तब तक कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच कोई गतिविधि नहीं होगी। अतः देश में प्रयोग की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तथाकथित "शृंखलाबद्ध की प्रेस" द्वारा कोई भी दुर्भावनापूर्ण संकेत भेजना असंभव है।

घ) ईसीआई-ईवीएम में भौतिक रूप से कोई छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती और न ही उनके घटकों को किसी की नजर बचा कर बदला जा सकता है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एम1 और एम2 जैसी पूर्ववर्ती जेनरेशन की मशीनों में माइक्रो कन्ट्रोलर/चिप एवं मदरबोर्ड बदलना मजबूत प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा के कारण सम्भव नहीं है। साथ ही वर्ष 2013 के बाद तैयार की गई नई एम3 ईवीएम में छेड़-छाड़ का पता लगाने (टैम्पर डिटेक्शन) और स्वयं निदान (सेल्फ डायग्नोस्टिक) जैसी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। किसी भी क्षण कोई भी जब मशीन को खोलने की कोशिश करता है तो छेड़-छाड़ का पता लगाने वाली विशेषता, ईवीएम को निष्क्रिय कर देती है। जब भी ईवीएम चालू होती है स्वयं निदान (सेल्फ डायग्नोस्टिक) विशेषता उसकी पूर्ण रूप से जांच करती है। इसके हार्डवेयर या साफ्टवेयर में किसी भी बदलाव का तुरंत पता चल जाएगा। एम 3 जेनरेशन की 13.95 लाख बीयू और 9.30 लाख सीयू के उत्पादन के लिए निर्माताओं को 1900 करोड़ रूपए पहले से ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ 16.15 लाख वीवीपीएटी भी उत्पादनाधीन है और इनके लिए 3173 करोड़ रूपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

ङ) नवीनतम तकनीकी विशेषताएं ईसीआई-ईवीएम को छेड़-छाड़ रोधक बनाती है। ईसीआई-ईवीएम को 100% छेड़-छाड़ रोधक मशीन बनाने के लिए इसमें कुछ सबसे अत्याधुनिक तकनीकी विशेषताओं जैसे कि एक बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी) माइक्रोकंट्रोलर, की कोडों की डॉयनमिक कोडिंग, प्रत्येक की (key) को दबाने की तारीख एवं समय मुद्रांकन, उन्नत एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी और ईवीएम लॉजिस्टिक को संभालने के लिए ईवीएम-ट्रैकिंग साफ्टवेयर आदि का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त एम3 ईवीएम के नए मॉडल में छेड़-छाड़ का पता लगाने और स्वयं निदान जैसी अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं। ओटीपी साफ्टवेयर का अभिप्राय है कि ईसीआई की सुरक्षित अभिरक्षा के अंतर्गत ईवीएम में डाले गए प्रोग्राम में कोई भी बदलाव, किसी के भी द्वारा उसे पुनः लिखना या पुनः पढ़ना संभव नहीं है। यह ईवीएम को छेड़छाड़ रोधक बनाता है। यदि कोई अनधिकृत प्रयास करता है तो मशीन निष्क्रिय हो जाएगी।

च. कुछ लोगों द्वारा फैलायी गई गलत सूचना और लगाए गए आरोपों के विपरीत, भारत निर्वाचन आयोग विदेश में तैयार की गई किसी भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करता है। ईवीएम दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड; बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; हैदराबाद द्वारा देश में ही उत्पादित की जाती हैं। साफ्टवेयर प्रोग्राम कोड इन दोनों कंपनियों द्वारा इन-हाउस तैयार किए जाते हैं, न कि आउटसोर्स किए जाते हैं और इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और सर्वोच्च निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह फैक्ट्री स्तर पर कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं के अधीन होता है। साफ्टवेयर प्रोग्राम को विनिर्माताओं द्वारा मशीन कोड में बदल दिया जाता है और उसके उपरांत ही इसे विदेश स्थित चिप विनिर्माता को दिया जाता है। (हमारे देश में सेमी-कंडक्टर को निर्मित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है)। प्रत्येक माइक्रोचिप की एक पहचान संख्या होती है जो मेमोरी में होती है और उन पर निर्माताओं के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। अतः उनकी प्रतिस्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विनिर्माताओं के पास वापिस लाई गई माइक्रोचिप साफ्टवेयर के संबंध में कार्यात्मक परीक्षण के अध्यक्षीन होती हैं। माइक्रोचिप को बदलने की किसी भी प्रकार की कोशिश का पता लगाया जा सकता है और ईवीएम को निष्क्रिय किया जा सकता है। इस प्रकार,

मानकीकरण एवं सत्यापन करती है लेकिन नीदरलैंड में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।

- ईसीआई की ईवीएमस में डाटा आंतरिक रूप से स्टोर होता है और इसे किसी भी डिवाइस से अंतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य देशों में डीआरएम में रिकार्ड मतदान का डाटा सीडी आदि के द्वारा अंतरित किया जाता है।
- एनईडीएपी मशीनें प्रयोग करने वाले अन्य देशों के विपरीत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईसीआई की मशीनों के प्रयोग, भण्डारण, परिवहन और ट्रेकिंग के लिए संपूर्ण सुरक्षा संबंधी नयाचार और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं।
- नीदरलैंड के एमोआईकेआर के विपरीत आयोग को प्रतिष्ठित प्रोफेसरों वाली एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का संपूर्ण सहयोग मिलता है।
- प्रत्येक ईवीएम पर एक विशिष्ट नम्बर होता है जिसे ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचन आयोग के डाटाबेस में रिकार्ड किया जाता है। ईवीएम की इस संख्या की डाटाबेस से सदैव पुनर्जांच की जा सकती है।
- इन ईवीएम मशीनों में प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर की एक ही बार प्रोग्रामिंग (ओटीपी) की जा सकती है, जिसे उत्पादन के उपरांत दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- देशभर में विधिक ढांचे के अनुसार ईसीआई की ईवीएम को सदैव कड़ी, एकसमान, उच्च स्तर की प्रशासनिक और भौतिक सुरक्षा में रखा जाता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61ए के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। देशभर में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कई बार विभिन्न निर्णयों में ईवीएमस के प्रयोग को उचित ठहराया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 में ईसीआई की ईवीएम को इसकी पारदर्शिता और सुदृढ़ता के कारण इसे “राष्ट्र का गौरव” घोषित किया था।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी तकनीक प्रारंभ की है ताकि सार्वजनिक परख सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2019 तक आयोग पूरे देश में वीवीपीएटी लागू करने के प्रति कटिबद्ध है। इस प्रकार डाले गए प्रत्येक मत की शतप्रतिशत मतदाता प्रामाणिकता और संपरीक्षणता हो जाएगी, जबकि इसके विपरीत एनईडीएपी मशीनों में ऐसी सुविधा के अभाव में जर्मनी के उच्चतम न्यायालय ने इन मशीनों के उपयोग को असंवैधानिक कहते हुए इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी थी जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने देश में निर्वाचनों के आयोजन में ईवीएम के प्रयोग को वैध माना है।
- अतः, ईसीआई की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की किसी अन्य स्थान पर उपयोग की जा रही मशीनों से तुलना करना अनुचित है। आयोग ने हमेशा एक स्पष्ट एवं पारदर्शी रूप से कार्य किया है और हमेशा अपनी प्रक्रियाओं के लिए प्रश्नों, संदेहों तथा रचनात्मक एवं शिष्ट आलोचनाओं का स्वागत किया है ताकि हम निर्वाचकीय प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बना सकें। 12 मई, 2017 को हुई राजनीतिक दल की बैठक के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों को एक खुली चुनौती देने का वचन दिया था ताकि वे यह प्रदर्शित कर सकें कि पांच राज्यों में प्रयोग की गई ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी या क्या तकनीकी तथा प्रशासनिक सुरक्षा प्रबंधों के होते हुए भी ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने, 3 जून, 2017 से सभी राजनीतिक दलों को खुली चुनौती देने का प्रस्ताव किया।

□□□□□□ □□ □□□□□□□□:

□□□□ □□□□□□□□ □□□□ द्वारा, □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

12. एक संख्या को दो भागों में बाँटें, जिनका योग 10 हो और एक भाग दूसरे भाग का 2 गुना हो।

13. एक संख्या को दो भागों में बाँटें, जिनका योग 10 हो और एक भाग दूसरे भाग का 2 गुना हो।

14. एक संख्या को दो भागों में बाँटें, जिनका योग 10 हो और एक भाग दूसरे भाग का 2 गुना हो।

15. एक संख्या को दो भागों में बाँटें, जिनका योग 10 हो और एक भाग दूसरे भाग का 2 गुना हो।

16. एक संख्या को दो भागों में बाँटें, जिनका योग 10 हो और एक भाग दूसरे भाग का 2 गुना हो।

17. □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

18. ईवीएम चुनौती का आयोजन निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में 03.06.2017 से किया जाएगा।

चुनौती के परिणाम:

1. चुनौती I के अंतर्गत चुनौतीदाता को " असफल " माना जाएगा, यदि:

- क. चुनौतीदाता द्वारा छेड़छाड़ करने का प्रयास करते समय ही ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है। (कारण: ईसीआई की ईवीएम इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि यदि इसमें किसी प्रकार की अवांछित तकनीकी से कार्य किया जाए तो यह कोई गलत परिणाम देने के बजाय स्वतः 'एरर मोड में' चली जाती हैं।
- ख. ईवीएम प्रचालनाधीन रहती है और चुनौती प्रयास करने के पश्चात कंट्रोलिंग यूनिट पर दर्शाया गया परिणाम वैसा ही है जैसा कि चुने गए सीयू में स्टोर हुए परिणाम को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया था। (क्लीयर बटन दबाने से पहले)
- ग. यदि चुनौतीदाता ईवीएम की चुनौती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में से, किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है।
- घ. चुनौतीदाता वर्तमान चुनौती से अपना नाम वापस ले लेता है।

2. चुनौती II के अंतर्गत चुनौतीदाता को " असफल " माना जाएगा, यदि:

- क. चुनौतीदाता द्वारा छेड़-छाड़ करने का प्रयास करते समय ही ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है या खराब हो जाती है। (कारण: ईसीआई की ईवीएम इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि यदि इसमें किसी प्रकार का अप्राधिकृत अथवा अनचाहा तकनीकी कार्य किया जाए तो वे कोई गलत परिणाम देने के बजाय स्वतः 'एरर मोड में' चली जाती हैं।
- ख. ईवीएम प्रचालनाधीन रहती है और पहले से स्टोर किए गए परिणाम को हटाने के बाद, चुनौतीदाता द्वारा उस पर चुनौती प्रयास के साथ-साथ छद्म मतदान या संपूर्ण मतदान किया जाता है और हाथ से डाले गए मतों (भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी द्वारा) का योग वही होता है जो उक्त छद्म/पूर्ण मतदान के पश्चात, चुनी हुई कंट्रोल यूनिट पर स्टोर किया गया था।
- ग. यदि चुनौतीदाता ईवीएम की चुनौती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में से किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है।
- घ. चुनौतीदाता वर्तमान चुनौती से अपना नाम वापस ले लेता है।

10. कतिपय न कहने वाले व्यक्तियों ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग को या तो ईवीएम में छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें मशीन अपने साथ ले जाने अथवा उसका आंतरिक सर्किट आदि बदलने की अनुमति देनी चाहिए। यह कहना वैसा ही है जैसे कि उन्हें एक नई मशीन बनाने की अनुमति दे दी जाए और वे हमारी प्रणाली में अपनी नई ईवीएम लगा दें। इसके अतिरिक्त, यह हर कोई जानता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के " इंटरनल सर्किट" में परिवर्तन करना डिवाइस में परिवर्तन करने के समान है" इसके पश्चात यह डिवाइस मूल डिवाइस जैसी नहीं रह सकती है। एक सामान्य व्यक्ति भी यह समझता है कि ईसीआई की ईवीएम से भिन्न अथवा ऐसी ईवीएम, जिसका इंटरनल सर्किट भिन्न है, सामान्यतया एक भिन्न मशीन है अथवा यह भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम जैसी दिखती है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह गारंटी कभी नहीं दी जा सकती कि यह सटीक परिणाम देगी। हमारे प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ऐसे परिदृश्य को पूरी तरह से नकार दिया जाता है और इसी कारण से चुनौती में इसका प्रस्ताव नहीं किया गया।

11. आयोग, देश के सभी नागरिकों, मतदाताओं, राजनैतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों का आभार प्रकट करता है कि 67 से अधिक वर्षों से उनका आयोग के प्रति दृढ़ और अटूट विश्वास बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोग सभी राजनैतिक दलों का भी धन्यवाद करता है जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में अपना निरंतर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, जैसा कि 12 मई, को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों ने वार्तालाप के दौरान व्यक्त किया था। आयोग देश के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह निर्वाचनों की शुचिता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता कायम रखने और अपने देश के निर्वाचकीय लोकतंत्र में लोगों के भरोसे और विश्वास को और मजबूत करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं देश के नागरिकों को पुनः आश्वासन देता हूँ कि आयोग निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में लोगों के विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देगा। आयोग की इच्छा है कि देश के सभी नागरिक, हितधारक हमारी निर्वाचकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक, सजग और सतर्क रहें ताकि आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन को और सुदृढ़ किया जा सके।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

कोई मतदाता नहीं छूटे



भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001

दूरभाष: +91-11-23717391; फ़ैक्स: +91-11-23713412

यूआरएल: www.eci.nic.in

Ecisveep.nic.in